सर्व शिक्षा अभियान

संशोधित एवं प्रस्तावित कार्ययोजना

एवं

बजट

वर्ष 2001–2002

(दिस० २००१ से मार्च २००२ तक)

जनपद–चमोली

उत्तरांचल

अध्याय–1

जनपद की पृष्ठभूमि

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्यं समुंद्र रसयासहाहुः
यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषाविधेम।

अर्थात् जिस हिमवान की महामहिमा की स्तुति आसपास के ये हिमशैल कर रहे हैं,जिसकी महत्ता "समुद्र" सिन्धु अलकनन्दा आदि गंगा ,यमुना, सरस्वती प्रभृति देव नदियाँ सदा अचल धरती से उद्घोषित कर रही हैं, जिनकी भुजायें ये दिशा प्रति दिशायें हैं, उस हिमालय की हम हविस्य से आराधना करते हैं। (ऋग्वेद)

अराध्य हिमालय की गोद में अवस्थित जनपद चमोली नवनिर्मित राज्य उत्तरांचल के गढ़वाल मण्डल का सीमान्त जनपद है जो 30° 25'–31° 27' उत्तरी अक्षांश से 79° 19' पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है।इस जनपद की सीमायें उत्तर में तिब्बत ,पूर्व में पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा, दक्षिण में पौड़ी तथा पश्चिम में रूद्रप्रयाग जनपद को स्पर्श करती हैं।अक्टूबर 1997 में जनपद रूद्रप्रयाग अस्तित्व में आया ,जिसमें जनपद चमोली की दो तहसीलें ऊखीमठ एवं रूद्रप्रयाग को पूर्ण रूपेण तथा कर्णप्रयाग एवं पोखरी तहसील को आंशिक रूप से सम्मिलित किया गया, जनपद चमोली का सर्वाधिक भू भाग पहाड़ी क्षेत्र वाला है, जिसकी उँची पहाडियां हिमाच्छांदित रहती हैं।समुद्रतल से जनपदीय भू भाग की ऊँचाई 800 से 7816 मीटर तक भिन्न–भिन्न स्थानों में भिन्न–भिन्न है।

जल संसाधन की दृष्टि से जनपद चमोली सम्पन्न है।यहाँ अनेक नदियाँ, झरने, झीलें, आदि हैं जो जनपद के प्राकृतिक सौन्दर्य में चार चाँद लगाते हैं।जनपद की मुख्य नदी अलकनन्दा हिन्दुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ के निकट अल्कापुरी ग्लेशियर से ,नन्दाकिनी नदी नन्दाघुंघुटी पर्वत से तथा पिन्डर नदी पिन्डारी ग्लेशियर से निकलती है।इसके अतिरिक्त जनपद में और कई छोटी नदियाँ हैं जो वर्ष पर्यन्त स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती हैं।उँची चोटियाँ हिमाच्छादित रहती हैं जिनका सम्बन्ध छोटे–बड़े ग्लेशियरों से है। जनपद अपने बुग्यालों (चरागाहों), जड़ी बूटियों, फूलों, जंगलों, जंगली जानवरों ,आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जनपद में वर्षा सामान्यतः 100 सेमी. से 300 सेमी. तक तथा तापमान 35° C से –14° C तक रहता है।

अधिकांश गाँव ढलवा पहाड़ी भागों में स्थित हैं जो जनसंख्या के अधिक घनत्व को सहन नहीं कर सकते हैं। फलतः भूस्खलन से सदैव भयाक्रान्त रहते हैं, इस कारण कई गाँव पुनर्वास की

स्थिति में आ गये हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – देवात्मा हिमालय की विशालता में प्राचीन मनीषियों ने ईश्वरात्मा की अनुभूति कर आध्यात्मिक ज्योति का संचय प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में किया है। हिमालय एवं कैलाश पर्वत का आध्यात्मिक, भौगोलिक ,राजनैतिक तथा शैक्षिक महत्व हिन्दू धर्म के आदि ग्रन्थ वेदत्रयी में सुविशद चित्रित है।हिमालय गंगा, यमुना, सरस्वती का उद्गम स्थल , वैदिक देवी देवताओं किन्नर , यक्ष, सिद्ध ,गुहयक ,देवयोनियों की क्रीड़ा स्थली है ,यही वह स्थान है जहाँ ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ, महाभारत की रचना ,पाण्डवों का स्वार्गारोहण ,शंकराचार्य का आगमन एवं वेदपुराणों की रचना हुई। इस हिमालय की अधित्यका एवं उपत्यका में स्थित गढ़वाल आज भी जनमानस को पवित्रता ,त्याग, विग्ग बल–शौर्य ,देश–प्रेम ,धार्मिक ,सहिष्णुता तथा कार्य–दक्षता के लिए सम्मान प्राप्त किये हुए है।

ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार केदारखण्ड को समय–समय पर अनेक नामों से उल्लिखित किया गया,किन्तु इस पर्वतीय भाग में पाषाण निर्मित अनेक गढों का निर्माण तत्कालीन राजाओं ने किया जो कालान्तर में "गढों वाले भू भाग" अर्थात् गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। इसमें चमोली ,रूद्रप्रयाग, पौड़ी ,उत्तरकाशी एवं टिहरी जिले सम्मिलित थे।

इस भू भाग पर प्राचीन काल में "शम्बर" दिवोदास आदि राजाओं का अधिपत्य रहा,यक्षों की नगरी अलकापुरी यहाँ स्थित है।यक्ष किन्नर नाग, किरात, हूणों के शासन के प्रमाण इतिहास सम्मत हैं।कत्यूरी राजाओं के शासन के प्रमाण स्वरूप 945--1060 ई0 तक के शिलालेख पाण्डुकेश्वर एवं बागेश्वर में आज भी उपलब्ध हैं।1500 ई0 से पवार वंशीय शासकों का प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध है, इसी वंश के अन्तिम शासक मानवेन्द्र शाह (वर्तमान सांसद, टिहरी) हुए।

8 सितम्बर 1803 के विनाशकारी भूकम्प ने गढ़वाल स्टेट के आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त प्राय कर दिया।इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गोरखाओं ने अमरसिंह थापा एवं हस्तीदल चन्टूरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया तथा 1804 से 1815 तक आधे गढ़वाल पर अपना शासन स्थापित किया।

1815 ई0 में गढ़वाल के पंवार वंशीय राजा सुदर्शन ने गोरखा आक्रमण से रक्षित होने के फलस्वरूप गढ़वाल को दो भागों पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल में विभाजित कर दिया।पौड़ी को ब्रिटीश गढ़वाल के नाम से जाना जाता है । 24 फरवरी 1960 को जनपद चमोली, पौड़ी से पृथक होकर अस्तित्व में आया।

महत्वपूर्ण तीर्थ– जनपद चमोली पौराणिक काल से एक प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्र रहा है।पांडवों की स्वर्गारोहिणी यहीं है।यहाँ पांडवों द्वारा कई मंदिर निर्मित हैं।केदारनाथ सहित पंचकेदारों (केदारनाथ, रूद्रनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर) और बद्रीनाथ का मूल मंदिर भी पांडवों द्वारा निर्मित बताया जाता है।क्रौन्च पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर, मण्डल में माता अनुसूइया का मंदिर एवं देवी के विभिन्न रूप कालीमठ, चाँदपुरगढ़ी, नन्दादेवी , पर्णा (पैनी),

हरियाली देवी मठियाणा ,वधाणगड़ी में निर्मित मंदिर एवं सिद्धपीठ यहाँ अवस्थित है। सिक्खों का पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुण्ड साहिब 15210 फीट की ऊँचाई पर इसी क्षेत्र में स्थित है।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना– जनपद चमोली में विभिन्न धर्मों ,संस्कृतियों तथा आध्यात्मिक अनुयायियों का विशेष संगम रहा है।इनके रीति–रिवाज ,परम्परायें एवं संस्कृति एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करती है। जनजाति के लोगों की उपस्थिति जनपद में विशिष्ट संस्कृति की परिचायक है। सीमान्त ब्लॉक जोशीमठ में स्थित नीती एवं माणा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार हेतु आदिकाल से विख्यात रहे हैं।

प्राचीन अभिलेखों व साहित्यों में वेदों के रचना काल को कृत युग कहा गया है।कृत काल में द्विग विजय की प्रथा प्रारम्भ हुयी। द्विग विजय की कामना से इस प्रदेश में बार–बार अनेक राजा आये। अभिलेखों के अनुसार खसों के अतिरिक्त मीहों और हुणों ने हिमालय में द्विग विजयी सेनाओं को परास्त करने के प्रयत्न किये। इसी तरह इस भू–भाग की अन्य मान्यताओं के अनुसार भी देश–विदेशों के पर्यटक तथा आक्रमणकारी यहाँ आते रहे। अतः यहाँ की विशिष्ट संस्कृति न होकर विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है।

जनपद के उत्तरी भाग जिसमें माणा ,नीती, गमशाली आदि आते हैं।इन लोगों में तिब्बत की संस्कृति का समावेश है।यहाँ सरल स्वभाव मानव अपने धर्म के प्रति काफी निष्ठावान हैं।लोकगीत ,लोकनृत्य के बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में पांडव लीला का बहुत प्रचलन है।हिन्दू समाज के अनुसार शादी–विवाह वेदों के अनुकूल होते हैं। जनपद के ठंडे भागों में महिलायें ऊनी लावा पहनती हैं।जबकि पुरूष अपनी ही भेडों की ऊन से बनाया हुआ कोट और पायजामा पहनते हैं।कहीं–कहीं कुछ लोग ऊनी चादर पहनते हैं।निचले भागों में कहीं–कहीं महिलायें काली सूती चादर पहनती हैं।जोशीमठ तहसील में नीती एवं माणा घाटी के लोग भोटिया बोली बोलते हैं।

जनपद ग्राम बाहुल्य होने के कारण यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि के साथ ही ऊँचेभागों के लोग भेड़ बकरी भी पालते हैं।जिनकी ऊन से अनेक वस्तुओं का निर्माण कर बेचा जाता है।जनपद के ऊँचे भागों में फलों का भी उत्पादन किया जाता है । जिनमें सेब , आड़ू नाशपाती ,खुमानी आदि फल मुख्य हैं ।घाटियों में माल्टा का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। फलों के अतिरिक्त ऊँचे भागों में आलू की अच्छी पैदावार होती है,जबकि निचले भागों में गेहूं ,मंडुवा धान , जौ ,उड़द ,सोयाबीन अदि पैदा किया जाता है। प्राकृतिक बनावट के कारण यहाँ के खेतों में, घाटियों को छोड़कर अन्यत्र इतनी पैदावार नहीं होती है कि उसी से आजीविका चलायी जा सके।अतः आजीविका के लिए जनपद का युवा वर्ग मैदानी क्षेत्रों में नौकरी के लिए पलायन कर देता है। जनपद में ऊन के अतिरिक्त रिंगाल की चटाई ,पिटारे तथा टोकरियाँ भी बनायी जाती है। ऊन उद्योग में आधुनिकता लाने के लिए कुछ नई औद्योगिक इकाईयों का गठन किया गया हैं।तथा उन्हें कई तरह से आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है।

भूमि संरचना– भौतिक संरचना की दृष्टि से जनपद चमोली का सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी है। इसमें हिमशिखरों, हिमानियों ,तप्तकुण्डों ,सरोवरों ,नदियों एवं झाड़ियों की भरमार है। जनपद का समस्त उत्तरी भाग हिमाच्छादित हैं।पूरे जनपद में 24 से 26 ऐसी हिमाच्छादित चोटियाँ हैं जो 20 हजार फीट से अधिक ऊँची हैं।प्रमुख पर्वत शिखरों में नन्दादेवी ,नन्दाघुंघुटी ,स्वर्गारोहण ,नीलकंठ एवं हाथी पर्वत प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से जनपद के पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।सबसे उत्तर की ओर महान हिमालय की श्रेणियां स्थित हैं, जिसे हिमाद्रि अथवा मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी की सभी चोटियां वर्ष भर या वर्ष के अधिकांश समय में हिम से ढकी रहती हैं।यह क्षेत्र ऊँची चोटियों ,तेज ढाल एवं गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है।विवर्तनिक दृष्टि से ये बड़े सक्रिय हैं ।इनकी चट्टानें बहुत पुरानी हैं, जिनके गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट शिलाओं का आधिक्य है।पार्श्व भाग में परिवर्तित अवशादी शैलें मिलती हैं। इस भाग की मुख्य चोटियों में नीलकंठ ,स्वर्गारोहिणी ,हाथीपर्वत एवं नन्दादेवी आदि हैं। नन्दादेवी प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है जिसकी ऊँचाई 7818 मीटर है।

उत्तरी श्रेणी के दक्षिण में उसी के समान्तर लघु हिमालय की श्रेणी फैली हुई है,जिसकी औसत ऊँचाई 1800 से 3000 मीटर है।यहाँ शीत ऋतु में तीन चार महिने बर्फ गिरती है ।इस क्षेत्र की चट्टानें बहुत पुरानी हैं जिसमें स्लेट ,चूना पत्थर तथा क्वार्ट्ज की अधिकता पायी जाती है। इस भाग में कोणधारी वन मिलते हैं। तथा ढालों पर छोटे–छोटे घास के मैदान पाये जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहते हैं।

जनपद चमोली की मिट्टी के गुण एवं संरचना का निश्चित वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है ,क्योंकि यह एक घाटी से दूसरी घाटी ,एक ढाल से दूसरे ढाल व एक ऊँचाई से दूसरी ऊँचाई में भिन्नता लिए हुए है। खेती योग्य भूमि उपरांव व तलांव में विभक्त है। ढालदार खेत होने के कारण भूक्षरण मुख्य समस्या है।

भूमि उपयोग प्रकार– जनपद का 61 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। बहुत कम भूभाग पर खेती की जाती है। इसमें भी अधिक भूभाग असिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(तालिका– 1.1)

जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग (हेक्टेयर में) 1997–98

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन क्षे	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान परती	अन्य परती	उसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	अन्य उपयोगी भूमि
1.	जोशीमठ	200890	39563	15406	11	301	117655	8085
2.	कर्णप्रयाग	19093	3885	285	2	100	6831	865
3.	दशोली	32282	16901	2379	9	200	2544	712
4.	घाट	10794	5972	837	7	86	620	245
5.	नारायणबगड़	19987	6659	242	7	105	1578	1213
6.	गैरसैंण	28938	12968	2845	10	340	3119	476
7.	थराली	13260	6616	501	4	87	945	156
8.	देवाल	20181	10010	1087	15	96	3350	257
9.	पोखरी	24268	8295	610	13	145	3475	3985
योग	ग्रामीण	369693	110869	24192	78	1460	140117	15994
	वन क्षेत्र	384996	384996	.....	...	.....	.....	.....
	जनपद योग	754689	495865	24192	78	1460	140117	15994

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999 ,जनपद चमोली।

जलवायु– जनपद की जलवायु ऊँचाई के अनुसार विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती रहती है। जैसे–तापक्रम, वायुवेग, सूर्योदय की स्थिति एवं घाटी विस्तार आदि। यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान 25° से 42°C तक रहता है, किन्तु शीतकाल में हिमपात होता है, जिसके कारण तापमान 5° से 0°C तक पहुंच जाता है।वर्षा का वार्षिक औसत 1475 मि0मी0 है। यहाँ पर जाड़े की ऋतु दिसम्बर से फरवरी, बसंत ऋतु फरवरी से अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून, वर्षा ऋतु जून से सितम्बर तथा हेमंत ऋतु सितम्बर से दिसम्बर तक होती है।

सम्पूर्ण जनपद को ऊँचाई के अनुसार निम्न क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है:–

1. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र–900 मीटर से 1800 मीटर तक
2. शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र–1800 मीटर से 2400 मीटर
3. शीत कटिबंधीय क्षेत्र–2400 मीटर से 3000 मीटर
4. अल्पाइन क्षेत्र–3000 मीटर से 4200 मीटर
5. हिमखण्डीय क्षेत्र–4200 से ऊपर

प्रवाह प्रणाली– जनपद की सबसे बड़ी नदी अलकनन्दा है, जो बद्रीनाथ के समीप तिब्बत की सीमा के निकट 7800 मीटर की ऊँचाई वाले स्थान अल्कापुरी बांक से निस्सृत होती है।

धौली गंगा जो नीती दर्रे के निकट जास्कर श्रेणी से निकलती है ,विष्णु प्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है। सरस्वती नदी माणा दर्रे के निकट कामेट पर्वत से निकलकर माणा में विलुप्त हो जाती है। अलकनन्दा जैसे–जैसे जनपद के बीचों बींच कल–कल ध्वनि से आगे बढ़ती है ,कई छोटी–छोटी किन्तु धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियों का इससे मिलन होता रहता है। हेलंग में कर्मनाशी गंगा ,लंगसी में पातालगंगा ,पाखी में गरूड़गंगा ,बिरही में बिरही गंगा ,अल्कापुरी में बालगंगा (बालखिला) ,नन्दप्रयाग में नन्दाकिनी तथा कर्णप्रयाग में पिण्डर नदी का अलकनन्दा में संगम होता है।

उक्त नदियों के अतिरिक्त यहाँ अनेक ताल एवं कुण्ड भी हैं, जिनमें वासुकीताल, कागभुषण्डी ताल ,सुपताल ,झलताल ,ब्रह्मताल ,भैंकलताल ,बिरहीताल ,गौणाताल ,तड़ागताल ,तोलीताल, दुर्मीताल ,रूपकुण्ड ,बेदिनी कुण्ड ,नन्दीकुण्ड ,सूर्यकुण्ड ,चन्द्रकुण्ड ,सप्तकुण्ड ,तप्तकुण्ड ,छत्राकुण्ड एवं हेमकुण्ड आदि प्रमुख है।

वनस्पति– जनपद के उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में बाँज ,बुरांस ,खड़ीक ,अंयार ,अखरोट ,तुन, मोरू ,खर्सू ,तिलन्ज ,कैल आदि ,शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में चीड़ ,देवदार ,सुरई ,रिंगाल, पांगर, ,अंगू ,थुनेर आदि ,शीतकटिबन्धीय क्षेत्र में रिंगाल की झाडियां ,च्यूल ,फर ,देवदार एवं भोजपत्र के वृक्ष तथा अल्पाइन क्षेत्र में घास के लम्बे मैदान ,बहुमूल्य जड़ी–बूटियाँ एवं विभिन्न प्रजातियों के फूल होते हैं।

वनों में काफल ,भमोरे मेलू ,हिंसौल , किलमोड़ ,घिंघारू ,बनककड़ी ,भ्यूंले त्यलाण, तेडू ,छ्यपाड़ी ,अमेस ,बेल ,तिमला ,बेडू ,कुकुड़दाडू आदि बहुमूल्य एवं औषधीय फल बहुतायत मात्रा में पाये जाते हैं। प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में तपस्यारत ऋषि–मुनियों एवं साधु सन्यासियों का मुख्य भोजन यही कन्दमूल फल हुआ करते थे।

<u>तालिका–1.2</u>

क्र0सं0	प्राकृतिक वनस्पति विवरण	ऊँचाई मी0 में	मुख्य पेड़–पौधे
1.	उष्ण कटिबन्धीय	1200 से नीचे	बाँज, खर्सू ,मोरू, अखरोट, तुन, खड़ीक ,सेमल , क्वीराल।
2.	शीतोष्ण कटिबन्धीय	1200 से 1800 मी0 तक	चीड़, देवदार, थुनेर ,अंगू , सुरई, रिंगाल, पांगर।
3.	शीत कटिबन्धीय	1800 से 3000 मी0 तक	फर, रिंगाल की झाड़ियां पहाड़ी बांस,भोजपत्र ,च्यूल।
4.	अल्पाइन (बुग्याल)	3000 से 4000 मी0 तक	घास केमैदान,जड़ी–बूटियाँ, विभिन्न प्रजातियों के पुष्प।

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999 ,जनपद चमोली।

फसली प्रकार–जनपद की मुख्य फसलों को दो भागों में बाँटा गया है। जिसमें रबी एवं खरीफ मुख्य हैं:–

तालिका–1.3

क्र0सं0	वर्ष	रबी/खरीफ	फसल का प्रकार	औसत उपज प्रति कुन्तल/हेक्टे0	उत्पादन मीट्रिकटन में
1.	1997–98	रबी	1.गेहूं	13.26	22934.00
			2.जौ	13.91	194.04
2.	,,	खरीफ	1.धान	12.49	18096.00
			2.मंडुवा	13.49	16161.00
			3.झंगोरा	10.25	165.00
			4.मक्का	10.09	279.00
3.	,,	दालें	1.मसूर	7.23	47.00
			2.मटर	11.64	24.00
			3.तोर	6.29	57.00
			4.गहत (कुलथ)	4.05	145.00
			5.उड़द	4.15	148.00
4.	,,	तिलहन	1.लाई/सरसों	5.78	250.00
			2.तिल	1.51	5.00
			3.सोयाबीन	4.90	57.00

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999, जनपद चमोली

आधारभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

1. परिवहन एवं संचार– परिवहन सुविधा के अन्तर्गत जनपद में कच्ची तथा पक्की सड़कें निर्मित हैं।सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, सीमा सुरक्षा संगठन एवं वन विभाग द्वारा किया जाता है।जनपद की मुख्य सड़क ऋषिकेश–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

तालिका–1.4

जनपद में यातायात एवं संचार सेवायें

वर्ष	विवरण	डाकघर	तारघर	पी0सी0ओ0	टेलीफोन	रेलवे स्टेशन	बस स्टेशन
1998–99	ग्रामीण	246	33	166	1225	.....	71
	नगरीय	14	6	173	2951	.....	8
योग		260	39	339	4261	.....	79

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999, जनपद चमोली

2. विद्युत व्यवस्था– जनपद के 1233 ग्रामों में से वर्ष 1998–99 तक 814 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं। मदवार विद्युत उपभोग की स्थिति निम्नवत् है:–

तालिका–1.5

मद	घरेलू प्रकाश एवं लघुविद्युत शक्ति	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु वि. शक्ति	औद्योगिक वि. शक्ति	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	कृषि हेतु
उपभोग हजार कि.वाट घण्टा (वर्ष 1998–99)	20335	1878	172	42	4

स्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999, जनपद चमोली।

3. सिंचाई– जनपद में सिंचाई हेतु मुख्य रूप से नहरें, हौज, गूल तथा हाइड्रम सुविधा उपलब्ध है।वर्ष 1998–99 मे नहरों की कुल लम्बाई 383 किमी0 ,हौजों की संख्या 1578 ,गूलो की लम्बाई 719 किमी0 तथा हाइड्रम 113 हैं।

4. बैंकिंग सुविधा–जनपद चमोली के ग्रामीण अंचल में 15 राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें तथा 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखायें हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में 9 राष्ट्रीयकृत एवं 3 ग्रामीण बैंक शाखायें हैं।

5. स्वास्थ्य सेवायें–वर्ष 98–99 तक जनपद में कुल 23 एलोपेथिक चिकित्सालय , 51 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 5 होम्योपेथिक चिकित्सालय,14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,9 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र , 91 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में एक क्षय रोग चिकित्सालय तथा 22 पशु चिकित्सालय भी उपलब्ध हैं।

आर्थिक पक्ष– जनपद में कृषि योग्य सिचिंत भूमि का अभाव है। इस कारण यहाँ की अर्थ व्यवस्था नौकरी एवं व्यापार पर ही निर्भर है।इसके अतिरिक्त अल्पमात्रा में नकदी फसलें जैसे आलू, राजमा, चौलाई, अदरक,मिर्च, प्याज, लहसुन भी आय के स्त्रोत हैं।फलों में जनपद के कुछ क्षेत्रों में सेब तथा माल्टा पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है। पशुधन के अन्तर्गत भेड़ , बकरियाँ, गाय, भैंस प्रमुख हैं।

तालिका–1.6
जनपद की जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष	कृषक	कृषि श्रमिक	पशुपालक	उद्योग एवं खान श्रमिक	निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक	व्यापार एवं वाणिज्यिक वर्ग	अन्य कार्यकर
1991 के अनुसार	94777	1191	2457	33	3949	4301	22266

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999, जनपद चमोली।

प्रशासन तंत्र एवं व्यवस्था– प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से जनपद को 6 तहसीलों–जोशीमठ, पोखरी, चमोली, थराली, गैरसैंण एवं कर्णप्रयाग में बाँटा गया है। विकास को त्वरित गति प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण जनपद को 9 विकास खण्डों –जोशीमठ, पोखरी, देवाल, थराली, दशोली, नारायणबगड़, गैरसैंण, घाट एवं कर्णप्रयाग में विभाजित किया गया है।जनपद में कुल 39 न्याय पंचायत , 493 ग्रम पंचायत तथा 1233 राजस्वग्रम हैं , जिनमें 1144 आवाद, 89 गैरआवाद तथा 13 वन ग्रम हैं। जनपद के शहरी क्षेत्र में 2 नगरपालिका परिषद् एवं 4 नगर क्षेत्र समिति कार्यरत हैं।

तालिका–1.7
प्रशासनिक ढांचा

क्र0सं0	इकाई	संख्या
1.	ग्राम	1233
2.	ग्राम पंचायत	493
3.	न्याय पंचायत	39
4.	विकास खण्ड	09
5.	तहसील	06
6.	नगरक्षेत्र	04
7.	नगरपालिका परिषद्	02

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999 ,जनपद चमोली।

अधिवास संरचना– भूमि की अनुपलब्धता एवं विषम भौगोलिक परिस्थितिवश अधिकांश गाँवों की जनसंख्या बहुत कम है। 1102 गाँवों में 500 से भी कम आबादी निवास करती है। 104 गाँव ऐसे हैं जहाँ 500 से 999 लोग निवास करते हैं। 22 गाँवों की जनसंख्या 1000 से 1499 है, जबकि मात्र 4 गाँवों की जनसंख्या 1500 से 1999 है।केवल एक गाँव ही 2000 से अधिक आवादी वाला है।

तालिका–1.8

अधिवास संरचना अथवा जनसंख्यावार ग्रामों का विवरण

क्र0सं0	विवरण	ग्रामों की संख्या	प्रतिशत
1.	500 से कम	1102	89.40
2.	500 से 999	104	8.42
3.	1000 से 1499	22	1.78
4.	1500 से 1999	04	0.32
5.	2000 से 4999	01	0.08
	योग	1233	100.00

स्त्रोत– सांख्यिकी पत्रिका 1999 ,जनपद चमेली।

जनसंख्या– सम्पूर्ण जनपद की अनुमानित जनसंख्या 3,69,198 है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जिनका प्रतिशत 87.74 है।जनपद में पुरूष–स्त्री अनुपात 1000:1017 है। जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 64,901 है, जो कि कुल जनसंख्या का 17.57 प्रतिशत है। जनपद में 11,491 अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं, यह जनपद की कुल जनसंख्या का 3.11 प्रतिशत है। सम्पूर्ण जनसंख्या विषम भौगोलिक स्थिति एवं आजीविका की भिन्न परिस्थितियों के कारण पूरे जनपद में फैली हुई है।

तालिका–1.9

जनसंख्या विवरण

क्र0सं0	विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	323945	87.74
2.	शहरी	44002	11.91
3.	वन क्षेत्र	1251	0.33
4	जनसंख्या वृद्धि दर	.....	13.51
5.	प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	1017	.....
6.	अनुसूचित जाति	64901	17.57
7.	अनुसूचित जनजाति	11491	3.11
8.	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी0	48	.....
9.	साक्षरता प्रतिशत	.....	76.23

स्त्रोत– जनगणना 2001 , जनपद चमोली।

गैरसैंण ,जनपद का सबसे अधिक आबादी वाला विकास खण्ड है। यहाँ 58,437 व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि देवाल विकास खण्ड की जनसंख्या सबसे कम है। जनपद में विकासखण्डवार जनसंख्या की स्थिति निम्न प्रकार है–

तालिका–1.10

जनपद की जनसंख्या सन् 2001 (अनुमानित)

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	जोशीमठ	12410	11709	24119	1853	1727	3580	2408	2737	5145
2	कर्णप्रयाग	13167	14505	27672	1923	2060	3983	247	283	530
3	दशोली	18707	18809	37516	4347	4181	8528	963	1161	2124
4	घाट	16102	16272	32374	3202	3068	6270	217	223	440
5	नारायणबगड़	23416	26045	49461	4494	4594	9088	51	40	91
6	गैरसैंण	28396	30041	58437	3755	4030	7785	84	87	171
7	थराली	16897	16730	33627	2979	3141	6120	133	111	244
8	देवाल	11562	11628	23190	2333	2182	4515	29	34	63
9	पोखरी	17965	19584	37549	3576	3533	7109	15	12	27
	योग	158622	165323	323945	28462	28516	56978	4147	4688	8835
	वनग्राम	769	482	1251	288	276	564	18	10	28
	नगरक्षेत्र	23642	20360	44002	4150	3209	7359	1378	1250	2628
	कुल योग	183033	186165	369198	32900	32001	64901	5543	5948	11491

स्त्रोत–सांख्यिकी पत्रिका 1999 ,जनपद चमोली।

जनपद के समस्त विकास खण्डों का संक्षिप्त विवरण एवं विकासखण्डानुसार शैक्षिक मानचित्र भी आगे संलग्न किये जा रहे हैं।

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

किसी भी देश, राज्य अथवा क्षेत्र का विकास वहाँ के शैक्षिक विकास पर निर्भर करता है। तथा किसी भी क्षेत्र का शैक्षिक परिदृश्य उस क्षेत्र विशेष के विकास का दर्पण होता है। स्वतन्त्रता से पूर्व जनपद में शिक्षण संस्थाओं की अत्यधिक कमी के चलते शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार जन–जन तक नहीं हो सका। शिक्षण केन्द्रों की न्यूनता तथा इनके आम व्यक्ति की पहुँच से बाहर होने के कारण शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कुछ ही गिने चुने लोगों तक सीमित होकर रह गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनपद में जैसे–जैसे शिक्षण संस्थाओं ने पैर पसारना प्रारम्भ किया शनैः–शनैः उनकी संख्या में भी वृद्धि होती गयी। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों का रुझान भी इस ओर बढता गया और जनपद की साक्षरता दर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। किसी भी क्षेत्र की साक्षरता उस क्षेत्र विशेष की शैक्षिक प्रगति का मापदण्ड होती है। सम्पूर्ण जनपद की साक्षरता दर जो कि 1991 की जनगणना अनुसार 61.40 थी ,वर्तमान में 76.23 प्रतिशत हो गयी है (सेन्सेस ऑफ इण्डिया 2001 के अनुसार), जो कि देश एवं प्रदेश की साक्षरता दर से काफी अधिक है, और जनपद के त्वरित शैक्षिक विकास को भी इंगित करती है।

तालिका–2.1

ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता दर–2001

वर्ग	सम्पूर्ण साक्षर जनसंख्या	साक्षरता(प्रतिशत)
पुरुष	139127	89.89
महिला	100650	63.00
योग	239777	76.23

स्त्रोत– जनगणना, 2001

तालिका–2.2

विकास खण्डवार साक्षरता विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षर			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	जोशीमठ	6702	3051	9753	74.7	36.5	56.30
2.	कर्णप्रयाग	8088	5003	13091	61.8	38.2	53.70
3.	दशोली	10638	5465	16103	79.4	40.3	59.70
4.	घाट	7962	2556	10518	70.9	22.3	46.40
5.	नारायणबगड़	13410	7653	21063	82.3	40.7	60.00
6.	गैरसैंण	15238	6509	21747	78.7	30.9	53.80
7.	थराली	9584	4258	13842	80.4	36.1	58.30
8.	देवाल	6192	2548	8740	77.4	31.2	54.00
9.	पोखरी	10747	6466	17213	62.4	37.6	52.00
	सम्पूर्ण वन क्षेत्र	326	63	389	60.8	19.9	45.60
	योग	88,887	43,572	1,32459	80.8	37.4	58.50
	नगर क्षेत्र	18,650	8337	26987	89.6	67.3	81.30
	महायोग	1,07537	51909	1,59446	82.2	40.3	61.4

स्त्रोत– जनगणना ,1991

शिक्षण संस्थाओं की वर्तमान स्थिति :–

जनपद में वर्तमान में 873 प्राथमिक विद्यालय, 169 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 53 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 51 राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज, 06 राजकीय महाविद्यालय, 04 संस्कृत महाविद्यालय, 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 01 पालीटेकनिक कालेज एवं 01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध है , साथ ही पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त विद्यालय भी जनपद के शैक्षिक विकास में अपनी अहम भूमिका प्रदान कर रहे हैं।

तालिका–2.3

जनपद की शिक्षण संस्थायें (9/2001 के अनुसार)

क्र0सं0	विकास खण्ड	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		महाविद्यालय	संस्कृत महाविद्यालय	आई0टी0 आई0	पालीटेकनिक	केन्द्रीय विद्यालय	नवोदय विद्यालय	डायट
		परिषदीय	राजकीय (आदर्श)	मान्यता प्राप्त	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	राजकीय	मान्यता प्राप्त	राजकीय	मान्यता प्राप्त							
1	जोशीमठ	106	1	4	23	2	4	3	4	–	1	1	1	–	1	–	–
2	कर्णप्रयाग	147	1	9	23	4	9	2	14	1	1	1	1	1	1	–	1
3	दशोली	105	1	11	23	3	4	1	9	–	1	1	1	–	–	1	–
4	घाट	77	2	3	15	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नारायणबगड़	69	2	7	14	1	6	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–
6	गैरसैंण	119	2	13	21	4	10	2	7	–	1	–	1	–	–	–	–
7	थराली	77	1	14	15	7	7	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–
8	देवाल	73	1	9	18	2	3	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–
9	पोखरी	96	2	7	17	3	7	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–
	योग	869	13	77	169	27	53	17	51	2	6	4	5	1	2	1	1
	नगर क्षेत्र	4	1	40	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	महोयाग	873	14	117	169	39	53	17	51	2	6	4	5	1	2	1	1

स्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

विद्यालयों की स्थिति–

जनपद में स्थित कुल 873 प्राथमिक विद्यालयों में से 851 विद्यालयें तथा कुल 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 140 विद्यालयों का ही अपना भवन है। कक्षा कक्षों की उपलब्धता के आधार पर समस्त विद्यालयी भवनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है–

तालिका–2.4

क्र0सं0	विवरण	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	भवनहीन	22	29
2.	एक कक्षीय भवन	–	–
3.	दो कक्षीय भवन	444	–
4.	तीन कक्षीय भवन	376	11
5.	चार कक्षीय भवन	18	115
6.	पांच कक्षीय भवन	13	14
	योग	873	169

स्त्रोत–कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन–

प्राकृतिक आपदाओं , भूकम्प , भूस्खलन एवं अतिवृष्टि के कारण जनपद के कई भवन पूर्णतः एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। 20 अक्टूबर ,1991 के भयंकर भूकम्प, 12 अगस्त,1998 की भीषण वर्षा एवं 28 मार्च 1999 के विनाशकारी भूकम्प का स्वयं केन्द्र बिन्दु होने के कारण विद्यालयी भवनों की क्षति का अत्यधिक नुकसान जनपद को उठाना पड़ा है। कुछ विद्यालय अधिवर्षता के कारण भी जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं। वर्तमान समय में कई विद्यालय अपनी जर्जर स्थिति के कारण खुले मैदान में संचालित होने के लिए मजबूर हैं।

तालिका–2.5

विद्यालय भवनों की स्थिति

क्र0सं0	विवरण	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	भवनहीन विद्यालय	22	29
2.	भवनयुक्त विद्यालय	851	140
3.	पुनर्निर्माण योग्य भवन	126	16
4.	मरम्मत योग्य भवन	385	70
5.	अच्छी स्थिति वाले भवन	340	54

स्त्रोत–कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

तालिका–2.6

विकास खण्डवार भवनों की स्थिति (9/2001)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल प्राथमिक विद्यालय	कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय	भवनहीन		भवनयुक्त		पुनर्निर्माण योग्य		मरम्मत योग्य		अच्छी स्थिति वाले भवन	
				प्राथ0	उच्च प्रा0	प्राथ0	उच्च प्रा0	प्राथ0	उच्च प्रा0	प्राथ0	उच्च प्रा0	प्राथ0	उच्च प्रा0
1	जोशीमठ	106	23	–	6	106	17	27	2	36	6	43	9
2	कर्णप्रयाग	149	23	1	4	148	19	20	1	87	13	41	5
3	दशोली	107	23	–	2	107	21	24	6	65	11	18	4
4	घाट	77	15	–	2	77	13	19	3	31	9	27	1
5	नारायणबगड़	69	14	1	6	68	8	5	–	31	5	32	3
6	गरसैंण	119	21	15	–	104	21	8	–	39	12	57	9
7	थराली	77	15	1	5	76	10	9	3	11	–	56	7
8	देवाल	73	18	4	2	69	16	4	1	42	9	23	6
9	पोखरी	96	17	–	2	96	15	10	–	43	5	43	10
	योग	873	169	22	29	851	140	126	16	385	70	340	54

स्रोत– कार्यालय ,बे0शि0अ0 चमोली।

दूरी के अनुसार विद्यालयी सुविधा–

जनपद के 1233 ग्रामों के विरुद्ध ग्रमीण क्षेत्रों में 869 एवं नगर क्षेत्र में 04 प्राथमिक विद्यालय ही विद्यमान हैं। अतः जनपद की एक–तिहाई हिस्सा स्कूली सुविधा से वंचित है। कुल 873 प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 597 विद्यालय ही एक किमी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित हैं जबकि 276 विद्यालय एक किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं।

तालिका–2.7

क्र0सं0	विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1 किमी0 के अन्तर्गत विद्यालयी सुविधा	1 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालयी सुविधा
1	जोशीमठ	106	78	28
2	कर्णप्रयाग	149	99	50
3	दशोली	107	90	17
4	घाट	77	57	20
5	नारायणबगड	69	45	14
6	गैरसैंण	119	64	65
7	थराली	77	62	15
8	देवाल	73	48	25
9	पोखरी	96	54	42
	योग	873	597	276

स्रोत– कार्यालय ,बे0शि0अ0 चमोली।

उच्च प्राथमिक विद्यालयी सुविधा–

जनपद के कुल 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 91 विद्यालय मानक के अनुसार 3 किमी0 की परिधि में एवं 78 विद्यालय 3 किमी0 से अधिक की दूरी पर स्थित हैं।

तालिका–2.8

क्र0सं0	विकास खण्ड	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं0	1–3किमी0 के अन्तर्गत विद्यालयी सुविधा	3किमी0 से अधिक की दूरी पर विद्यालयी सुविधा
1.	जोशीमठ	23	16	08
2.	कर्णप्रयाग	23	13	10
3.	दशोली	23	14	09
4.	घाट	15	06	09
5.	नारायणबगड़	14	06	07
6.	गैरसैंण	21	11	10
7.	थराली	15	07	08
8.	देवाल	18	09	09
9.	पोखरी	17	09	08
	योग	169	91	78

स्त्रोत–कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

प्राथमिक विद्यालय विहीन असेवित बस्तियाँ –

तालिका–2.9

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल राजस्व ग्राम	कुल बस्तियां	उपलब्ध विद्यालय	सेवित बस्तियां	असेवित बस्तियाँ जहां विद्यालय नही हैं	बस्तियां जहां मानकानुसार प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है	बस्तियां जहां ई0जी0एस0 केन्द्रों की आवश्यकता है	बस्तियां जहां वर्तमान में पूर्ण विद्यालय एवं ई0जी0एस0केन्द्र नहीं खोले जा सकते हैं
1.	जोशीमठ	85	125	106	106	19	10	08	01
2.	कर्णप्रयाग	176	242	149	197	45	12	08	25
3.	दशोली	120	202	107	160	42	10	12	20
4.	घाट	87	179	77	105	74	15	23	36
5.	नारायणबगड़	170	182	69	112	70	17	07	46
6.	गैरसैंण	215	250	119	187	63	17	15	31
7.	थराली	90	149	77	103	46	09	09	28
8.	देवाल	68	111	73	76	35	10	20	05
9.	पोखरी	133	183	96	149	34	08	01	25
	योग	1144	1623	873	1195	428	108	103	217

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

जनपद में 1144 राजस्व ग्राम हैं, जबकि बस्तियों की कुल संख्या 1623 है। 428 ऐसी असेवित बस्तियां हैं जहाँ विद्यालय नहीं हैं। ऐसी बस्तियां जहाँ मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकते हैं, की संख्या 108 है। जिसमें से 57 बस्तियों में विद्यालय भवनों का निर्माण हो चुका है,लेकिन इन विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं हुआ है शेष 51बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं।जनपद में कुल 103 ऐसी बस्तियां चिन्हित की गयी हैं जहाँ ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जा सकते हैं।जनपद में 217 ऐसी बस्तियां हैं जहाँ वर्तमान समय में पूर्ण विद्यालय एवं ई0जी0एस0 केन्द्र नहीं खोले जा सकते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालय विहीन असेवित बस्तियां–

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 169 है, किन्तु मानकानुसार कुछ बस्तियां उच्च प्राथमिक विद्यालयी सुविधा से आज भी वंचित हैं, ऐसी 76 बस्तियों में मानकानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

तालिका–2.10

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	उपलब्ध विद्यालय	मानकानुसार 3किमी0 की दूरी के अन्तर्गत विद्यालयों की आवश्यकता
1.	जोशीमठ	23	09
2.	कर्णप्रयाग	23	07
3.	दशोली	23	10
4.	घाट	15	09
5.	नारायणबगड़	14	07
6.	गैरसैंण	21	12
7.	थराली	15	10
8.	देवाल	18	05
9.	पोखरी	17	07
	योग	169	76

स्त्रोत– कार्यालय ,बे0शि0अ0 चमोली।

भौतिक सुविधायें–

पेयजल , शौचालय एवं चहारदीवारी–

जनपद के 173 प्राथमिक एवं 33 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। अन्य विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जनपद के 129 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलबध है,जबकि केवल 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये सुविधा मुहैय्या करायी गई है। जनपद के 70 प्राथमिक एवं 08 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण हो चुका है। अतः जनपद के 744 प्राथमिक विद्यालयों एवं शेष 139 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय तथा 803 प्राथमिक एवं 161 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण किया जाना है।

तालिका–2.11

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल विद्यालय		पेयजल सुविधा		पेयजल विहीन		शौचालय युक्त		शौचालय विहीन		चहारदीवारी युक्त		चहारदीवारी विहीन	
		प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0
1	जोशीमठ	106	23	24	4	82	19	22	3	84	20	19	–	87	23
2	कर्णप्रयाग	149	23	40	10	109	13	26	7	123	16	15	4	134	19
3	दशोली	107	23	4	3	103	20	2	6	105	17	5	3	102	20
4	घाट	77	15	22	3	55	12	14	–	63	15	8	–	69	15
5	नारायणबगड़	69	14	19	3	50	11	9	3	60	11	4	–	65	14
6	गैरसैंण	119	21	36	1	83	20	46	7	73	14	7	–	112	21
7	थराली	77	15	9	1	68	14	8	2	69	13	10	1	67	14
8	देवाल	73	18	15	5	58	13	–	1	73	17	–	–	73	18
9	पोखरी	96	17	4	3	92	14	2	1	94	16	2	–	94	17
	योग	873	169	173	33	700	136	129	30	744	139	70	8	803	161

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

अध्यापकों की स्थिति–

वर्तमान में जनपद के 873 प्राथमिक विद्यालयों में 1665 एवं 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 729 अध्यापक कार्यरत हैं। अध्यापकों की विकासखण्डवार स्थिति निम्नवत् है–

तालिका–2.12

क्र0सं0	विकास खण्ड	कार्यरत		योग
		शिक्षक	शिक्षिका	
1.	जोशीमठ	85	132	217
2.	कर्णप्रयाग	105	187	292
3.	दशोली	47	184	231
4.	घाट	78	80	158
5.	नारायणबगड़	61	58	119
6.	गैरसैंण	99	126	225
7.	थराली	66	77	143
8.	देवाल	62	42	104
9.	पोखरी	91	85	176
	योग	694	971	1665

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

तालिका–2.13

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की विकास खण्डवार संख्या

क्र0सं0	विकास खण्ड	परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत		योग	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या
		शिक्षक	शिक्षिका		
1.	जोशीमठ	90	02	92	24
2.	कर्णप्रयाग	86	15	101	60
3.	दशोली	84	17	101	33
4.	घाट	58	05	63	15
5.	नारायणबगड़	62	–	62	30
6.	गैरसैंण	84	13	97	42
7.	थराली	56	03	59	24
8.	देवाल	72	04	76	09
9.	पोखरी	73	05	78	18
	योग	665	64	729	255

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

अध्यापक छात्र अनुपात–

जनपद में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 873 है। जबकि इन विद्यालयों में कुल 1665 अध्यापक कार्यरत हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विकासखण्डवार अध्यापक–छात्र अनुपात निम्न सारणी में दिया जा रहा है–

तालिका–2.14

विकास खण्डवार अध्यापक–छात्र अनुपात

क्र0सं0	विकास खण्ड	परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की सं0	कुल नामांकित छात्र	कार्यरत अध्यापकों की सं0	अध्यापक छात्र–अनुपात
1.	जोशीमठ	106	3781	217	1:17.42
2.	कर्णप्रयाग	149	5687	292	1:19.47
3.	दशोली	107	5442	231	1:23.55
4.	घाट	77	5230	158	1:33.10
5.	नारायणबगड़	69	4244	119	1:35.66
6.	गैरसैंण	119	9184	225	1:40.81
7.	थराली	77	4157	143	1:29.06
8.	देवाल	73	3097	104	1:29.77
9.	पोखरी	96	5118	176	1:29.07
	योग	873	45940	1665	1:27.59

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली।

हास एवं अवरोध (ड्राप आउट)–

जनपद में हास एवं अवरोध बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जनपद की साक्षरता दर 76.23 इसका प्रमाण है। फिर भी बहुत से कारण ऐसे हैं जिनके चलते कुछ बच्चे बीच में ही स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में कुछ परिवारों के शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण भी बच्चों के नामांकन में प्रतिवर्ष हास हो रहा है।

ड्राप आउट की सर्वे के अनुसार वर्ष 1995–96 के कक्षा 1 में नामांकित 12 विद्यालयों की छात्र संख्या को आधार मानकर सर्वे किया गया। इस सर्वे में 232 छात्र–छात्रायें कुल नामांकित हुयी। वर्ष 2001–2002 तक इन बच्चों की विभिन्न कक्षाओं में प्रगति देखी गयी। 232 में से केवल 4 बच्चे ड्राप आउट निकले। निम्न सारणी ड्राप आउट के अतिरिक्त निम्न बातों की ओर संकेत करती है–

1. 232 में से 196 बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा निर्धारित पांच वर्षों में पूर्ण की।
2. 22 बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने में 6 वर्ष लगाये।
3. 10 बच्चों ने 7वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण किया।
4. ड्राप आउट का प्रतिशत 1.72 रहा ।

तालिका–2.15

ड्राप आउट तालिका (सन् 1995–96 से 2001–02)

स्रोत–बे0शि0अ0 कार्यालय,चमोली। (वर्ष 95–96 के कक्षा 1 में नामांकित 12 विद्यालयों की छात्र संख्या को आधार मानकर यह रिपोर्ट तैयार की गयी है।

बालगणना–

माह सितम्बर ,2001 में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर की गई बालगणना के अनुसार सम्पूर्ण जनपद में 0–3 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 18,250 है तथा 3–6 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 17,624 है । जनपद में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 54255 है। जिसमें से 53,690 बच्चे विभिन्न विद्यालयों में नामांकित हैं ,जबकि विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 565 है।तालिका 2.17 एवं तालिका 2.18 में विकासखण्डानुसार जातिवार कुल ,नामांकित एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण दिया जा रहा है।

इसी प्रकार पूरे जनपद में 11–14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 30,719 है। जिसमें से 30,326 बच्चे उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि विद्यालय न जाने वाले ऐसे कुल बच्चों की संख्या 393 है। तालिका 2.19 एवं तालिका 2.20 में विकासखण्डवार एवं जाति अनुसार कुल, नामांकित एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण दिया जा रहा है।

तालिका–2.16

बालगणना 0–14 वयवर्ग

क्र0सं0	विकास खण्ड	0–3 वयवर्ग			3–6 वयवर्ग			6–11 वयवर्ग			11–14 वयवर्ग			विकलांग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	457	467	924	499	447	946	2451	2385	4836	1854	1723	3577	24	23	47
2	कर्णप्रयाग	1011	978	1989	914	913	1827	3805	3595	7400	2192	2268	4460	60	34	94
3	दशोली	1473	1175	2648	1344	1206	2550	3718	3491	7209	2107	2012	4119	59	42	101
4	घाट	1322	1429	2751	1287	1141	2428	2685	2760	5445	1356	1329	2685	24	18	42
5	नारायणबगड	1083	1003	2086	996	951	1947	2304	2434	4738	1166	1199	2365	28	31	59
6	गैरसैंण	896	764	1660	1002	882	1884	4582	5288	[illegible]	2452	[illegible]	447[illegible]	75	57	132
7	थराली	1357	1264	2621	1276	1223	2499	2770	2643	5413	2195	2061	4256	[illegible]	2	9
8	देवाल	797	760	1557	818	815	1633	1833	1822	3655	1171	1089	2260	19	28	47
9	पोखरी	1029	985	2014	929	1001	1930	2556	2813	5369	1320	1198	2518	28	24	52
	योग	9425	8825	18250	9065	8559	17624	27014	27241	54255	15813	14906	30719	324	259	583

स्रोत–कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली। (9/2001 के अनुसार)

24

तालिका–2.17

6–11 वयवर्ग के कुल बच्चों एवं कुल नामांकित छात्रों का जातिवार विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल संख्या						अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति					
		कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	2451	2385	4836	2446	2378	4824	694	684	1378	690	682	1372	424	500	924	423	499	922
2	कर्णप्रयाग	3805	3595	7400	3800	3589	7389	903	897	1800	901	895	1796	28	33	61	28	33	61
3	दशोली	3718	3491	7209	3699	3446	7145	1097	1137	2234	1088	1105	2193	150	111	261	150	111	261
4	घाट	2685	2760	5445	2581	2649	5230	611	558	1169	601	546	1147	33	31	64	27	24	51
5	नारायणबगड़	2304	2434	4738	2291	2420	4711	567	589	1156	560	581	1141	4	1	5	4	1	5
6	गैरसैंण	4892	5298	10190	4870	5212	10082	838	812	1650	830	789	1619	13	10	23	13	10	23
7	थराली	2770	2643	5413	2759	2627	5386	535	528	1063	525	515	1040	7	6	13	7	6	13
8	देवाल	1833	1822	3655	1804	1775	3579	457	430	887	445	406	851	0	2	2	0	2	2
9	पोखरी	2556	2813	5369	2545	2799	5344	548	504	1052	542	492	1034	0	1	1	0	1	1
	योग	27014	27241	54255	26795	26895	53690	6250	6139	12389	6182	6011	12193	659	695	1354	652	687	1339

स्रोत–कार्यालय बे0शि0अ0 ,चमोली। (9/2001 के अनुसार)

तालिका–2.17 कमशः..... .....

क्र0सं0	विकास खण्ड	अल्पसंख्यक						पिछडी जाति						विकलांग					
		कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	29	15	44	29	15	44	18	14	32	18	14	32	18	19	37	14	16	30
2	कर्णप्रयाग	61	36	97	58	32	90	17	6	23	17	6	23	54	13	67	54	13	67
3	दशोली	26	26	52	26	26	52	98	80	178	98	80	178	57	35	92	50	28	78
4	घाट	5	2	7	4	1	5	13	24	37	9	19	28	14	15	29	9	5	14
5	नारायणबगड़	0	0	0	0	0	0	42	32	74	39	30	69	18	16	34	16	13	29
6	गैरसैंण	60	64	124	59	62	121	63	71	134	63	71	134	49	45	94	37	31	68
7	थराली	9	12	21	9	12	21	121	140	261	121	140	261	5	2	7	1	0	1
8	देवाल	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4	14	18	32	4	5	9
9	पोखरी	12	16	28	12	16	28	31	37	68	31	37	68	21	19	40	14	16	30
	योग	202	171	373	197	164	361	406	405	811	399	398	797	250	182	432	199	127	326

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 चमोली।

तालिका–2.18

6–11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्र0सं0	विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अल्पसंख्यक			पिछडी जाति			विकलांग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	5	7	12	4	2	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	3	7
2	कर्णप्रयाग	5	6	11	2	2	4	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0
3	दशोली	19	45	64	9	32	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14
4	घाट	104	111	215	10	12	22	6	7	13	1	1	2	4	5	9	9	6	15
5	नारायणबगड़	13	14	27	7	8	15	0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	3	5
6	गैरसैंण	22	86	108	8	23	31	0	0	0	1	2	3	0	0	0	12	14	26
7	थराली	11	16	27	10	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	देवाल	29	47	76	12	24	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	23
9	पोखरी	11	14	25	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10
	योग	219	346	565	68	128	196	7	8	15	5	7	12	7	7	14	52	49	101

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 चमोली।

तालिका–2.19

11–14 वयवर्ग के कुल बच्चों एवं कुल नामांकित छात्रों का जातिवार विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल संख्या						अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति					
		कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	1854	1723	3577	1853	1720	3573	210	207	417	209	204	413	98	115	213	98	115	213
2	कर्णप्रयाग	2192	2268	4460	2192	2262	4454	480	495	975	480	492	972	22	42	64	22	41	63
3	दशोली	2107	2012	4119	2092	1978	4070	511	427	938	501	411	912	142	137	279	142	137	279
4	घाट	1356	1329	2685	1311	1287	2598	124	84	208	111	65	176	1	4	5	1	4	5
5	नारायणबगड़	1166	1199	2365	1160	1190	2350	135	109	244	132	105	237	2	0	2	2	0	2
6	गैरसैंण	2452	2027	4479	2441	1946	4387	110	153	263	106	125	231	1	1	2	1	1	2
7	थराली	2195	2061	4256	2191	2053	4244	326	301	627	322	293	615	12	12	24	12	12	24
8	देवाल	1171	1089	2260	1147	1020	2167	256	146	402	248	115	363	1	0	1	1	0	1
9	पोखरी	1320	1198	2518	1314	1169	2483	346	196	542	342	171	513	0	0	0	0	0	0
	योग	15813	14906	30719	15701	14625	30326	2498	2118	4616	2451	1981	4432	279	311	590	279	310	589

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 चमोली। (9/2001 के अनुसार)

तालिका–2.19 क्रमशः...... ....

क्र0सं0	विकास खण्ड	अल्पसंख्यक						पिछड़ी जाति						विकलांग					
		कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित			कुल बच्चे			नामांकित		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	0	0	0	0	0	0	12	12	24	12	12	24	6	4	10	4	2	6
2	कर्णप्रयाग	34	16	50	34	16	50	13	20	33	13	20	33	6	21	27	6	21	27
3	दशोली	10	5	15	10	5	15	34	47	81	34	47	81	4	5	9	2	4	6
4	घाट	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	10	3	13	7	2	9
5	नारायणबगड़	0	0	0	0	0	0	7	2	9	7	2	9	10	15	25	9	12	21
6	गैरसैंण	5	17	22	5	17	22	15	23	38	15	15	30	26	12	38	14	4	18
7	थराली	18	9	27	18	9	27	68	55	123	68	55	123	2	0	2	2	0	2
8	देवाल	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	1	5	5	10	15	4	5	9
9	पोखरी	6	8	14	6	8	14	25	27	52	25	27	52	7	5	12	5	4	9
	योग	73	56	129	73	56	129	178	189	367	178	181	359	76	75	151	53	54	107

स्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 चमोली।

तालिका–2.20

11–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्र0सं0	विकास खण्ड	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अल्पसंख्यक			पिछडी जाति			विकलांग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जोशीमठ	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
2	कर्णप्रयाग	0	6	6	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	दशोली	15	34	49	10	16	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
4	घाट	45	42	87	13	19	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
5	नारायणबगड़	6	9	15	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
6	गैरसैंण	11	81	92	4	28	32	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	8	20
7	थराली	4	8	12	4	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	देवाल	24	69	93	8	31	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
9	पोखरी	6	29	35	4	25	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	योग	112	281	393	47	137	184	0	1	1	0	0	0	0	8	8	23	21	44

स्त्रोत– कार्यालय बे0शि0अ0 चमोली।

अध्याय – 3
नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों का 2003 तक विधालयों में नामांकन होना है, इसके उपरान्त उनका विधालयों में ठहराव सुनिश्चित करके ड्राप आउट दर को शून्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा ही ऐसी योजना है जो बस्ती, ग्राम, न्यायपंचायत विकासखण्ड स्तर से समेकित जिलास्तरीय योजना बनकर प्रस्तुत हुई है।

माइक्रोप्लानिंग – जनपद चमोली में वर्ष 2000–2001 में परिवार को इकाई मानकर माइक्रोप्लानिंग की गई है। आकड़ों का संकलन न्यायपंचायत/संकुल स्तर पर करके विकास खण्डानुसार रणनीति तय की गई है व अन्त में सभी विकासखण्डों के आकड़ो,समस्याओं, विशेषताओं, विभिन्नताओं को समेकित करके वृहद प्लान तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा परियोजना में जो कमियाँ रह गई थी उनकी पूर्ति हेतु इस परियोजना में प्रस्ताव रखें गये है ताकि स्कूल तक न पहुँच पा रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनका विधालयों में ठहराव हो तथा वे उच्च प्राथमिक स्तर तक की गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक गाँव/बस्ती के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई–

1:–0–3, 3–6, 6–11 एवं 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या ।
2:–विद्यालयों एवं बालवाड़ी/आंगनवाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
3:–विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
4:–विद्यालय न जाने वाले या शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय न जाने के कारण।
5:–यदि ग्रम/बस्ती में विद्यालय या ई0सी0सी0ई0 केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानकानुसार ये खुल सकते हैं?
6:–यदि मानकानुसार विद्यालय या केन्द्र नहीं खुल सकते हैं तो ग्रम/बस्ती वाले क्या चाहते हैं?
7:–क्या ग्रम/बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में भौतिक तथा मानवीय संसाधन पर्याप्त हैं ?
8:–यदि नहीं हैं तो क्या किया जा सकता है तथा ग्रमवासियों के क्या सुझाव हैं ?
9:–विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकायें मानकानुसार हैं या नहीं, यदि नहीं तो किसी प्रकार की व कितनी मांग है ?
10:–क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं ?
11:–शिक्षा व शिक्षण की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार सम्भव है ?

स्कूलो चलो अभियान :– जनपद में एक जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2001 तक गतवर्ष की भॉति स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसमें यह प्रयास किया गया कि 6–14 वयवर्ग के बच्चे विधालयों में प्रवेश ले सकें। प्रत्येक विधालय की बाल गणना पंजिका से नयें बच्चों का नामांकन कराया गया तथा ग्राम स्तर पर उस क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं ने रैलियों व गोष्ठियों का आयोजन किया। फलतः लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हुई।
स्कूल चलो अभियान से शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु वातावरण तैयार हुआ उन कारणों को ढूढँने में मदद मिली जो बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित रखने हेतु उत्तरदायी थे । दिनांक 5 7.2001 से 7.7.2001 तक रूलेक देहरादून में सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भिक चरण की

अभिमुखीकरण कार्यशाला हुई तथा इसके पश्चात् 4.9.2001 से 8.9.2001 तक एन0 एस0 डार्ट मसूरी में परियोजना निर्माण कार्यशाला का आयोजन हुआ।

15 जून से पूर्व जिला व ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय कोर टीम का गठन किया गया। इस अभियान की सफलता हेतु अन्य विभागों के कर्मियों का सहयोग भी लिया गया है। जिसमें प्रमुख रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास अधिकारी), जिला सूचना अधिकारी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी , जिला परियोजना निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निर्माण एवं तकनीकि विशेषज्ञ प्रमुख हैं।

जिला व ब्लॉक स्तरीय बैठकों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों एवं कमियों पर विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा हुई तथा निम्न आवश्यकतायें चिन्हित हुई–

1. असेवित क्षेत्र।
2. ड्राप आउट के कारण।
3. विद्यालय भवन की स्थिति ।
4. अन्य भौतिक संसाधनों की आवश्यकता।
5. जन सहभागिता।
6. अपवंचित वर्ग के बच्चों एवं बालिका शिक्षा सम्बन्धी बाधाएँ।
7. विकलांग बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था ।

सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कोर टीम द्वारा विभिन्न विकास खण्डों में संगोष्ठिया आयोजित करायी गई जिसमें जिला स्तर से संदर्भ व्यक्ति के रूप में दो–दो व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया।

योजना पूर्व गतिविधियां–

विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों , फोकस ग्रुप चर्चा एवं विचार विमर्श के मुद्दे:–

क्र0 सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या व विवरण	विचार विमर्श के मुद्दे एवं सम्पादित कार्य
1	20–5–01 से 31–5–01	जनपद के समस्त विकास खण्ड	स0बे0शि0अ0 एवं अध्यापक	बालगणना
2	1–7–01 से 15–7–01	जनपद के समस्त विकास खण्ड	स0बे0शि0अ0 एवं अध्यापक	स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं प्रभातफेरियां
3	5–7–01से 07–07–01,	रूलेक देहरादून	प्राचार्य एवं दो प्रवक्ता डायट,गौचर ,बेसिक शिक्षा अधिकारी, स0बे0शि0अ0 चमोली।	1–सर्व शिक्षा अभियान क्या है? 2–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण प्रक्रिया

				3–पहुंच, नामांकन, ठहराव,संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
4	28–8–01 से 1–9–01 तक	एन0एस0 डार्ट मसूरी	बेसिक शिक्षा आंधेकारियों का प्रशिक्षण	परियोजना निर्माण कार्यशाला का आयोजन
5	4–9–01 से 9–9–01 तक	एन0एस0 डार्ट मसूरी	प्रवक्ता –02, स0बे0शि0अ0–03	परियोजना निर्माण कार्यशाला का आयोजन एवं परियोजना निर्माण के मुद्दों पर चर्चा
6	19–9–01	विकास खण्ड –दशोली	प्रववता डायट–01, स0बे0शि0अ0–01 ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद्	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्रम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
7	19–9–01	विकास खण्ड–जोशीमठ	प्रवक्ता डायट–01, स0बे0शि0अ0–01 ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद्	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्रम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
8	20–9–01	विकास खण्ड–घाट	जिला कोर टीम के सदस्य एवं स0बे0शि0अ0, घाट, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद्	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्रम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
9	20–9–01	विकास खण्ड–कर्णप्रयाग	खण्ड विकास अधिकारी, स0बे0शि0अ0, प्रवक्ता डायट–02, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्रम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की

			सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद	गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
10	21–9–01	विकास खण्ड–देवाल	कोर टीम के सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी, स0बे0शि0अ0, प्रवक्ता डायट–02, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्राम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
11	21–9–01	विकास खण्ड–थराली	कोर टीम के सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी, स0बे0शि0अ0, प्रवक्ता डायट–02, स0बे0शि0अ0,	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्राम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
12	22–9–01	विकास खण्ड–गैरसैंण	जिला कोर टीम के सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी, स0बे0शि0अ0, प्रवक्ता डायट–02, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्राम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
13	22–9–01	विकास खण्ड–नारायणबगड़	स0बे0शि0अ0, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्राम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
14	23–9–01	विकास खण्ड–पोखरी	जिला कोर टीम के सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी, स0बे0शि0अ0, प्रवक्ता डायट–02, ब्लॉक	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। ग्राम एवं बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की

			प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के शिक्षाविद	गयी तथा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।
15	21–9–01 से 30–9–01 तक	राज्य परियोजना कार्यालय , देहरादून।	पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,चमोली। स0बे0शि0अ0–03 प्रवक्ता डायट–02	वर्ष 2001–02 हेतु वार्षिक कार्य योजना (सर्व शिक्षा अभियान) एवं बजट निर्धारण।
16	25–9–01	जनपद मुख्यालय चमोली (गोपेश्वर)	निदेशक एन0एस0 डार्ट मसूरी, सलाहकार एन0एस0 डार्ट मसूरी, जिलाधिकारी चमोली, जिला पंचायत एवं नगर पंचायत अध्यक्ष चमोली , जिला पंचायत सदस्य , समस्त विकास खण्डों कें ब्लॉक प्रमुख, जनपद के शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि एवं जिला कोर टीम के सदस्य।	सर्व शिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला ,समस्याओं की पहचान एवं समाधान हेतु सुझाव एवं प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये।
17	1–10–01 एवं 2–10–01	सर्व शिक्षा परियोजना कार्यालय, गोपेश्वर।	जिला स्तरीय कोर टीम के सदस्य, प्रवक्ता डायट –02 तथा स0बे0शि0अ0, परियोजना प्रभारी, पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चमोली।	वार्षिक योजना हेतु विचार विमर्श एवं 10 वर्षीय योजना निर्माण हेतु आंकडों एवं सूचनाओं का सत्यापन।
18	15–8–01	सर्व शिक्षा परियोजना कार्यालय, गोपेश्वर।	जिला कोर टीम के सदस्य	नवाचार शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार विमर्श
19	24–10–01 से 29–10–01 तक	राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून।	पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रवक्ता डायट–02 एवं स0बे0शि0अ0–03	पर्स पेक्टिव प्लान को अंतिम रूप दिया गया तथा इसे परियोजना कार्यालय में जमा किया।

दिनांक 25.9.2001 को जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एन0,एस0 डार्ट मसूरी से विशेषज्ञ के रूप में डा0 अतिन्द्रसेन (आई0 ए0 एस0) व डा0 एच0 सी0 पोखरियाल तथा राज्य स्तरीय प्रतिभागी के रूप में श्री दिवाकर देवरानी एवं गिरीशराम आर्य ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में जिलाधिकारी, चमोली सहित जनपद स्तर के सभी अधिकारियों , क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला

पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं नगरपंचायत अध्यक्षों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिभागियों व शिक्षाविदों ने भाग लिया।

अभिमुखीकरण कार्यशाला में अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया, साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गयी कि जनपद के समस्त विशेषज्ञों , शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ,कर्मचारियों एवं अध्यापकों की जनपद के शैक्षिक विकास में जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों एवं समुदाय के लोगों में विद्यालय के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत कर उत्तरदायी पूर्ण व्यवहार के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा तथा सभी पक्षों को साथ लेकर अभियान के समस्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

दिनांक 21–9–2001 से दिनांक 30–9–2001 तक सन्दर्भ व्यक्तियों श्री डी0एस0 नेगी स0बे0शि0अ0 ,दशोली ,श्री एच0एस0 नेगी,स0बे0शि0अ0 कर्णप्रयाग ,श्री वी0सी0 मिश्रा एवं डॉ0 कुशल सिंह भण्डारी,प्रवक्ता डायट ने श्री एस0पी0 गौड़ ,पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चमोली (वर्तमान में प्रधानाचार्य रा0इ0का0 चकराता, देहरादून) के नेतृत्व में राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 2001–2002 हेतु सर्व शिक्षा का एकवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया व पर्सपेक्टिव प्लान तय करने हेतु रणनीति तैयार की। 1 व 2 अक्टूबर को सर्व शिक्षा कार्यालय ,जनपद चमोली के मुख्यालय में आँकडों का मिलान करके दिनांक 3–10–2001 को अन्तिम रूप से एकवर्षीय कार्यक्रम प्रस्ताव श्री डी0एस0 नेगी द्वारा परियोजना कार्यालय देहरादून में प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 5–10–2001 से 19–10–2001 तक उपरोक्त सन्दर्भ व्यक्तियों ने श्री एस0पी0 गौड़ के नेतृत्व में सर्व शिक्षा कार्यालय गोपेश्वर में ,30 सितम्बर,2001 की जनपदीय शैक्षिक सूचनाओं की आधार मानते हुए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया। दिनांक 15–10–2001 को जिला परियोजना कार्यालय गोपेश्वर में श्री एस0पी0 गौड़ की अध्यक्षता में मसूरी में प्रशिक्षित सन्दर्भ व्यक्तियों की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें श्री पी0एस0 सणम, श्री पी0एस0 बर्त्वाल , श्री डी0एस0 नेगी, श्री एच0एस0 नेगी, श्री बी0एल0 भारती, श्री वी0सी0 मिश्रा तथा डा0 के0एस0 भण्डारी ने प्रतिभाग किया तथा प्लान से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। दिनांक 24–10–01 से 29–10–01 तक श्री एस0पी0 गौड़ टीम प्रभारी के नेतृत्व में श्री डी0एस0 नेगी, श्री एच0एस0 नेगी, श्री वी0सी0 मिश्रा एवं डा0 के0एस0 भण्डारी राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून में निर्मित प्लान के पुनरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। उचित मार्गदर्शनोपरान्त अन्तिम रूप से पर्सपेक्टिव प्लान सर्व शिक्षा परियोजना कार्यालय देहरादून में जमा किया गया।

अध्याय – 4
सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान (एस0 एस0 ए0) – सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन –जन तक पहुँचाने सम्बन्धी चिर अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्यति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है ताकि समाज व राष्ट्र की प्रगति बाधित न हो।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :–

1. सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल में नामांकित करना।
2. सभी बच्चे 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे 2010 तक कक्षा 8 तक की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें।
4. संतोषजनक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देना।
5. बालक–बालिका असमानता व सामाजिक वर्ग भेद को समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करना।

जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारण
नामांकन

(क) प्राथमिक स्तर – सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप जनपद चमोली में भी वर्ष 2002–2003 के अन्त तक प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। वर्ष 2000–2001 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 52925 थी व कुल नामांकन 50,808 था।इस प्रकार कुल नामांकन प्रतिशत 96 प्रतिशत रहा । वर्ष 2001–2002 में जनपद के 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 54,255 है तथा कुल नामांकन 53,690 है।इस प्रकार जी0ई0आर0 98.95 प्रतिशत है। छात्र संख्या व शत प्रतिशत नामांकन में 1.05 का अन्तर है। अतः शत प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के लिए सकल नामांकन दर को 2002–2003 तक इतना बढ़ाना होगा कि दोनों का अन्तर शून्य हो जाए। इस सन्दर्भ में 2002–2003 तक सकल नामांकन 104 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

तालिका – 4.1
छात्र नामांकन प्राथमिक स्तर

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या			विधालयों के नामांकित कुछ छात्र संख्या			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बलक	बालिका	योग	
2000–2001	26354	26571	52925	25380	25428	50808	96 %
2001–2002	27014	27241	54255	26795	26895	53690	98.95 %
2002–2003	27689	27922	55611	28796	29038	56723	104 %
2003–2004	28381	28620	57001	30935	31196	62131	109 %
2004–2005	29090	29336	58426	31999	32269	64268	110 %
2005–2006	29817	30069	59886	32202	32474	64676	108 %
2006–2007	30562	30820	61382	33007	33285	66292	108 %
2007–2008	31326	31590	62916	33832	34117	67949	108 %
2008–2009	32109	32379	64488	34678	34969	69647	108 %
2009–2010	32911	33189	66100	35544	35844	71388	108 %

स्त्रोत – बे0 शि0 अ0 कार्यालय अभिलेखानुसार (2000 से 2002 तक की गणना प्रमाणित)
नोट – उक्त सारणी में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त छात्रों की संख्या सम्मिलित हैं।

उच्चप्राथमिक स्तर – जनपद की बाल गणना के आधार पर 2000–2001 में 11–14 वर्ष वर्ग के छात्रों की कुल संख्या 29,954 थी तथा उनमें से कक्षा 6 से 8 तक में नामांकित बच्चों की संख्या 29,505 थी, इस प्रकार सकल नामांकन प्रतिशत 98.5 था। 2001–2002 में 11–14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 30719 है तथा सकल नामांकन 30,326 है। इस प्रकार सकल नामांकन प्रतिशत 98.72 है। सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2007 तक इन कक्षाओं में शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। जो इस जनपद में 2005–2006 में प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2001–2002 में बच्चों की संख्या व सकल नामांकन में 1.28 का अन्तर है। सारणी 4.2 में 11–14 वय वर्ग के बच्चों की प्रक्षेपित संख्या का विवरण अंकित किया जा रहा है।

तालिका – 4.2
11 – 14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

वर्ष	11– 14 वय वर्ग के बच्चों कुल संख्या			कुल नामांकन			जी0ई0 आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000–01	15417	14537	29954	15186	14319	29505	98.5 %
2001–02	15813	14906	30719	15701	14625	30326	98.72%
2002–03	16208	15278	31486	16030	15110	31140	98.90%
2003–04	16613	15660	32273	16447	15503	31950	99%
2004–05	17028	16052	33080	16943	15972	32915	99.5%
2005–06	17454	16453	33907	17454	16453	33907	100%
2006–07	17890	16855	34755	18248	17202	35450	102%
2007–08	18337	17287	35624	19070	17979	37049	104%
2008–09	18795	17720	36515	19359	18251	37610	103%
2009–10	19265	18163	37428	19843	18708	38551	103%

स्त्रोत – बे0 शि0 अ0 तथा जि0 वि0 निरीक्षक कार्यालय अभिलेख

ड्राप आउट कम करने का लक्ष्य – सर्वप्रथम लक्ष्य सन् 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन कराया जाना हे, उसके बाद ड्राप आउट को कम करने की रणनीति तय की जायेगी।

गुणवत्ता संवर्धन – गुणवत्ता संवर्धन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अग्रिम अध्याय में उल्लेख किया गया हैं।

नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पहुँच का विस्तार – इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नये विधालय भवनों का निर्माण, पुराने जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत एवं ई0 जी0 एस0 केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। ठहराव में वृद्धि हेतु विधालयों को आकर्षक बनाया जायेगा। प्रत्येक विधालय में मानकानुसार अध्यापक नियुक्त किये जायेगें । जनसहभागिता बढ़ायी जायेगी। बालिकाओं, अनु0 जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।प्रवन्धन एवं अनुश्रवण प्रणाली को चुस्त तथा दुरूस्त बनाया जायेगा।

अध्याय – 5
समस्याऐं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तर पर कराये गये विचार विमर्श एवं गोष्ठियों के विश्लेषण से एक व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती, नये भवनो का निर्माण ,जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत, शौचालयों एवं पेयजल की व्यवस्था, साज–सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत् प्रयास किया जायेगा।

समस्याऐं	रणनीति
1. पहुँच	महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रत्येक ग्राम सभा ,बस्ती में महिला मंगल दल, मातृ सम्मेलन, बाल विकास योजना के कार्यकर्ती/कार्यकर्ता नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से सहयोग लिया जायेगा।
छात्र/छात्राओं को दी जा रही शिक्षा का रोजगार परक न होना	उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा ताकि विद्यार्थियों में स्वावलम्बन की प्रवृति का विकास हो सके तथा आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। बालिकाओं को सिलाई, कढाई, फल संरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एवं लघु उद्योग संबन्धी प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।
विद्यालय भवनों का न होना तथा कुछ विद्यालय भवनों का जीर्ण–शीर्ण होना	जनपद में 22 प्राथमिक एवं 29 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन हैं।126 प्राथमिक एवं 16 उच्च प्राथमिक विधालयों के भवन देवीय आपदाओं एवं अधिवर्षता के कारण जीर्ण शीर्ण अथवा ध्वस्त प्रायः है। इनका पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार कुल 148 प्राथमिक एवं 45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण होना है।वर्ष 2001–2002 में विद्यालय भवनों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण प्रस्तावित नहीं है किन्तु वर्ष 2002–03 एवं वर्ष 2003–04 में समस्त भवनहीन, जीर्ण–शीर्ण एवं नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

विद्यालय भवनों की स्थिति का ठीक न होना	जनपद में 385 प्राथमिक एवं 70 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन मरम्मत योग्य हैं वित्तीय वर्ष 2001–02 में मरम्मत कार्य प्रस्तावित नहीं है किन्तु वर्ष 2002–03 से वर्ष 2004–05 तक समस्त मरम्मत कार्य कराने का प्रस्ताव है।
असेवित बस्तियों में विद्यालय सुविधा का का न होना	ऐसी असेवित बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या 200 से अधिक हैतथा जिनकी प्राथमिक विधालयों से दूरी एक कि0मी0 से अधिक है, में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। जिन बस्तियों में मानकानुसार पूर्ण प्राथमिक विद्यालय नही खोले जा सकते है ऐसी असेवित बस्तियों में शिक्षा गारन्टी केन्द्र तथा वैकल्पिक नवाचार केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इस प्रकार कुल 51 प्राथमिक एवं 103 ई0जी0एस0 केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है।वर्ष 2001–2002 में केवल 20 ई0जी0एस0 केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं वर्ष 2004–05 तक समस्त नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं शेष 83 ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।
नये स्वीकृत विद्यालयों में पदों का सृजन न होना	जनपद में वर्ष 1997– 98 में 57 प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति के अनुसार विद्यालय भवन निर्मित हो गये है लेकिन पद सृजित न होने से ये विद्यालय संचालित नहीं हो पा रहें है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में इन विद्यालयों हेतु (57 प्र0 अ0 एवं 57 स0 अ0) कुल 114 नवीन पद प्रस्तावित किये जाते हैं।
मानकानुसार चयनित स्थानों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का न खुलना	राजाज्ञा संख्या 2915/28.2.97–3 (20)/93 उत्तराखण्ड विकास अनुभाग दिनांक 31मार्च 1997 के अनुसार 8.9.98 को जनपद में जिला शिक्षा समिति द्वारा 50 जूनियर हाई स्कूलों का आवंटन किया गया था किन्तु उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ये विद्यालय नहीं

	खुल पाये, शेष अन्य असेवित बस्तियों में 26 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना है। अतः वर्ष 2001–2002 में 17 जूनियर हाईस्कूलों में केवल पद सृजन की मांग एवं साजसज्जा प्रस्तावित है। शेष विद्यालयों की मांग आगामी वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में प्रस्तावित है।
दशमवित्त आयोग से स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद सृजित न होना	जनपद में वर्ष 1995–96 से 97–98 तक 7 कन्या जूनियर हाई स्कूलों की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप विद्यालय भवन निर्मित हो चुकें हैं लेकिन पद सृजित न होने के कारण ये विद्यालय संचालित नही हो पा रहे हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 7 प्र0अ0 तथा 21 स0अ0 के पद प्रस्तावित हैं।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षों की अनुपलब्धता	जनपद में संचालित 873 विद्यालयों में से मात्र 117 विद्यालयों में तीन कक्षीय भवन उपलब्ध हैं तथा 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 131 ही विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 4 कक्ष हैं। 76 प्राथमिक विद्यालयों एवं 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु मानकानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 10 प्राथमिक एवं 08 उच्च प्राथमिक, वर्ष 2002–2003 में 12 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक, 2003–2004 में 17 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक 2004–2005 में 19 प्राथमिक, 03 उच्च प्राथमिक तथा 2005–2006 में 18 प्राथमिक विद्यालयों हेतु अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित करने का प्राविधान रखा गया है।
विद्यालयों में भौतिक संसाधनों–शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी	जनपद के 873 प्राथमिक विद्यालयों में से 700 प्राथमिक विद्यालयों एवं 169 उच्च प्राथमिक में से 136 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 744 प्राथमिक एवं 139 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की तथा 803 प्राथमिक एवं 161 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता है। जिनका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2001–2002 से 2006–2007 तक किया जाना प्रस्तावित है।वर्तमान वित्तीय वर्ष

	2001–02 में केवल 30 प्राथमिक विद्यालय एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी का निर्माण प्रस्तावित है।
न्याय पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्र एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रों का अभाव	स्कूली सुविधाओं में सुधार हेतु अध्यापकों एवं सामुदायिक जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए संकुल एवं ब्लॉकसंसाधन केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 9 ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं 2 नगर पंचायत संसाधन केन्द्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही इसी वित्तीय वर्ष 2001–02 में 39 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
घुमन्तु परिवारों के बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था का अभाव	जनपद के विकास खण्ड देवाल, घाट, थराली, एवं गैरसैंण के कुछ सुदूरवर्ती स्थानों में ग्रामीण अपने मवेशी व परिवार सहित वर्ष पर्यन्त निर्धारत स्थानों में 2–2 या 3–3 माह के लिए सिफ्ट होते हैं। इस कारण इनके बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से सदैव नहीं जुड़ पाते हैं। विस्थापित होने वाले इन परिवारों के बच्चों हेतु शिक्षक के रूप में आचार्य जी का प्राविधान किया गया है।
आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़े परिवारों द्वारा अपने बच्चों को गणवेश (यहाँ तक कि विद्यालय आने योग्य कपड़े)उपलब्ध न करा पाना ।	जनपद में 5–10 प्रतिशत परिवार आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं जिनको न खाने को उपलब्ध है न पहनने को ठीक से कपड़े। ये सम्पन्न परिवारों के बच्चों के पुराने कपडों से अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय की गणवेश में विद्यालय आना असंम्भव नहीं हो दुष्कर अवश्य है।यदि राज्य सरकार अपने संसाधनों से ऐसे बच्चों को वर्ष में एक बार गणवेश उपलब्ध करा दे तो निश्चित रूप से नामांकन में वृद्धि होगी।
ठहराव :– निर्धन एवं कमजोर छात्र/छात्राओं के पास पाठ्य–पुस्तकों एवं शैक्षिक सामाग्री	समाज के कमजोर वर्ग :– अनु0 जाति एवम् जनजाति के समस्त बालक बालिकाओं तथा

का अभाव	सामान्य वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क पाठ्य– पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी, शेष सामान्य वर्ग के बालकों को राज्य सरकार अपने संसाधनों से निशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध करायेगी।
मध्याह्नः–आहार की उचित व्यवस्था का न होना	वर्तमान में भारत सरकार की ओर से ठहराव बनाये रखने हेतु मध्याह्न आहार के रूप में 80 प्रतिशत उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को 3 किलो चावल प्रतिमाह देने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन कर विद्यालय में ही मध्याहन भोजन की व्यवस्था से विद्यालय में ठहराव में वृद्धि हो सकती है।
छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार योजना का समान रूप से लागू न होना	वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति एवम् पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक स्तर पर 25 रू0 प्रतिमाह तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर 40 रू0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय है किन्तु सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रायें इससे वंचित हैं, सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी छात्रवृत्ति देकर ठहराव में वृद्धि हो सकती है। मेधावी छात्रों को समय–समय पर पुरस्कृत करने से ठहराव में वृद्धि होगी।
छात्र पहिचान पत्र की व्यवस्था का न होना	विद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्रा हेतु उसका फोटो युक्त पहिचान पत्र बनवाया जाये ताकि छात्र/छात्रायें अपने को गौरवान्वित समझकर विद्यालय की ओर आकर्षित हों।
विद्यालय में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षा व्यवस्था सुचारू की जायेगी, 1:40 के मानकानुसार अध्यापकों की पूर्ति हेतु शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यापक–अभिवावकों में आपसी सहयोग का अभाव	समय–समय पर ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षक अभिभावक समिति की बैठकों का आयोजन कर उन्हें बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षण दशा से परिचित कराया जाये। इस प्रकार अभिभावक और अध्यापकों के बीच आपसी विचार विमर्श से ठहराव में गुणात्मक वृद्धि होगी।
रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम के समावेश का अभाव	छात्र/छात्राओं के स्तर के अनुरूप रूचिपूर्ण पाठयक्रम का निर्माण किया जाये। जिससे छात्र/छात्राओं की रूचि अध्ययन में बनी रहे।
विद्यालय भवन एवं परिसर में आकर्षण की कमी	विद्यालय भवन एवं परिसर को आकर्षक बनाने के लिये समुदाय का सहयोग लिया जाये, जिससे छात्र/छात्रायें विद्यालय आने को स्वतः प्रेरित होंगे। इससे ठहराव में वृद्धि होगी।
विद्यालयों में पुस्तकालय का अभाव	छात्रों के पास अपनी नियमित पाठय पुस्तकें होती है किन्तु उनके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हेतु अन्य पुस्तकों का अभाव रहता है, इस हेतु प्रत्येक विधालय में पुस्तकालय का होना आवश्यक है अथवा सचल पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिये।
लेखन सामाग्री का उचित दर पर उपलब्ध न होना	सर्व शिक्षा परियोजना के तहत प्राथामेक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति , अनुसूचि जनजाति के समस्त बच्चों व सामान्य वर्ग की केवल बालिकाओं के लिए प्रति छात्र/छात्रा रूपये 150 की दर से पुस्तकों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्राविधान रखा गया है। लेकिन पाठ्य सामाग्री की तुलना में लेखन सामाग्री कई गुनी मंहगी है।इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तक विक्रेताओं पर सरकार का नियन्त्रण हो व बच्चों को सस्ते मूल्य की (कन्ट्रोल रेट की कॉपियाँ) लेखन सामाग्री उपलब्ध करवायी जाये।

3. गुणवत्ता :–

अध्यापकों का मानक के अनुरूप न होना	प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक/अध्यापिकाओं का होना आवश्यक है। इस हेतु अतिरिक्त पूर्णकालिक एवं पैरा अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी है। यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक विधालय में कम से कम एक अध्यापक विज्ञान, गणित से सम्बन्धित हो।
अध्यापक, अभिभावक एवं छात्रों में सामंजस्य की कमी	अध्यापक का अभिभावकों एवं समुदाय के साथ तालमेल बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के प्रत्येक क्रियाकलाप में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटिपरक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। तत्पश्चात् कमजोर छात्रों हेतु निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
सामाजिक सहभागिता का अभाव	समुदाय में इस प्रकार की सोच विकसित करना कि वे विद्यालय को अपना समझे। उन्हें विद्यालय व्यवस्था से जोड़ने के लिए सतत् प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लेकर उन्हीं के संसाधनों से निर्धन छात्रों हेतु गणवेश, कापी, पैन्सिल आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।
विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की उचित व्यवस्था का न होना	विशेष आवश्यकताओं वाले अथवा विकलांग बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा, ऐसे बच्चों का सर्वेक्षण करा कर उन्हें 1200 रू0 वार्षिक की दर से सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का स्पष्ट व चित्रित वस्तु का आकर्षक न होना	सरकारी नियन्त्रण में मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व चित्रण स्पष्ट नहीं होता है। आवरण पृष्ठ को आकर्षक बना देने मात्र से समस्या का समाधान

	नहीं हो सकता, इसके लिए आवश्यक है कि किताबों के कागज का स्तर ठीक हो, मुद्रण स्पष्ट हो व उसमें बने चित्र पहचाने जा सकें।
विषयानुकूल अध्यापकों का न होना	सर्व शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति का प्राविधान है। नियुक्त अध्यापकों में एक विज्ञान वर्ग का व एक कला वर्ग का होना आवश्यक है ताकि कठिन समझे जाने वाले विषय गणित , विज्ञान की नींव कमजोर न रहे व भाषा में भी बच्चे प्रखर साबित हों। इस प्रकार की रणनीति नियुक्ति व स्थानान्तरण के वक्त तय करनी होगी। जिससे कि विसंगति न हो।
विद्यालयों में शैक्षिक उपकरणों का अभाव	करके सिखने की सार्थकता तभी है जब करने हेतु संसाधन उपलब्ध हों इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्तरानुकूल शैक्षिक उपकरण (जैसे विज्ञान ,गणित सम्बन्धी उपकरण, चार्ट ,मॉल, ग्लोब) उपलब्ध करवाये जाय। इस हेतु प्रति अध्यापक 500 रूपये वार्षिक का शिक्षण अनुदान प्रस्तावित है।
विद्यालयों में खेल व अन्य सामाग्री का अभाव	बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षण के अतिरिक्त उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी निपुण बनाया जाए। जैसे खेल, सांस्कृतिक क्रार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता ,निबन्ध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता आदि। लेकिन विद्यालयों में खेल सामाग्री तथा सांस्कृतिक क्रार्यक्रमों हेतु वाध्ययंत्रों का अभाव है, इसके लिए सर्व शिक्षा के अन्तर्गत धनराशि का प्राविधान आवश्यक है।
सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव	जनपद के 70 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं विषम भौगोलिक स्थिति के कारण प्रत्येक गाँव को सड़क से नहीं जोड़ा जा सकता है। जनपद के 80 प्रतिशत विद्यालय सड़क से भिन्न–भिन्न दूरियों पर स्थित हैं। इनमें से कुद विद्यालयों तक पहुँचना बहुत कठिन तो नहीं लेकिन

आसान भी नहीं है, जहाँ अध्यापिकायें अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण असुविधा महसूस करती हैं , जबकि जनपद में अध्यापिकाओं की संख्या अध्यापकों से अधिक है।दुर्गम स्थानों में ही शिक्षण का कार्य कुछ अध्यापकों की नियति बन गया है क्योंकि स्थानान्तरण नीति स्पष्ट नहीं है व उस पर राजनीति दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है।इसके लिए आवश्यक है कि जनपद के समस्त विद्यालयों को सुविधा/असुविधा के अनुसार वर्गीकृत करके प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका को प्रत्येक स्तर के विद्यालय में अध्यापन कार्य करना तय किया जाए या दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच एवं ठहराव में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितिवश कतिपय दूरस्थ बस्तियों के 6–14 आयु वर्ग के बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु इस बात की आवश्यकता है कि ऐसी बस्तियां जहाँ के बच्चे अन्य समीपस्थ विद्यालयों में पहुंचने में असमर्थ हैं या कठिनाई महसूस करते हैं और इस प्रकार अपनी प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन समस्त बस्तियों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर बच्चों के नामांकन में वृद्धि की जायेगी। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवीन विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम सम्पूर्ण जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असेवित एवं अपहुंच वाली बस्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। जनपद में इस तरह की यह पहली परियोजना चलेगी अतः मांइक्रोप्लानिंग के पश्चात् कई असेवित बस्तियां उभरकर सामने आयी। सर्व शिक्षा अभियान की मंशा सन् 2003 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन की है, अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2001–2002 में ही प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ताकि निर्धारित समय तक इस लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके।

छात्रों के ठहराव में वृद्धि हेतु समस्त विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा, प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी, शौचालय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अध्यापकों के क्षमता विकास हेतु उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षा की गुणवत्ता में शत प्रतिशत सुधार किया जायेग, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं समुदाय के व्यक्तियों को प्रेरित तथा उचित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों से जोड़ा जायेगा ताकि उनमें विद्यालय के प्रति स्वामित्व (0WNERSHIP) की भावना का विकास हो सके, फलस्वरूप वे गाँव की शैक्षिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

निर्माण कार्य की प्रक्रिया–

निर्माण कार्य की प्रक्रिया निम्न प्रकार सम्पन्न की जायेगी–

1. माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों में आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्रस्तावित किया जायेगा।
2. स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा करायी जायेगी।
3. स्थल चयन के पश्चात् ग्राम शिक्षा निधि में प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।
4. विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एवं विद्यालय का प्रधानाध्यापक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। धन का हिसाब–किताब प्रधानाध्यापक के पास रहेगा।
5. धनराशि का ग्राम शिक्षा निधि में पहुंच जाने पर निर्माण कार्य तीन माह में पूर्ण कराया जायेगा।
6. निर्माण कार्य को त्वरित गति से चलाने एवं निर्माण कार्य के तुरन्त पश्चात् नामांकन प्रारम्भ करनेके लिए निर्माण कार्य के प्रस्ताव पास होने के साथ ही एक प्रधानाध्यापक को उस नवीन विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा एवं निर्माण कार्य पूर्ण होते ही एक शिक्षा मित्र/पैरा

अध्यापक की व्यवस्था भी कर दी जायेगी। शिक्षा की पहुंच एवं ठहराव में वृद्धि हेतु सम्पूर्ण जनपद में निम्नलिखित व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम सुनिश्चित किये जायेंगे–

❖ **नवीन विद्यालयों की व्यवस्था–**

निम्न तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि जनपद में कुल 1144 राजस्व ग्रामों एवं इनमें निहित 1623 बस्तियों के विपरीत मात्र 873 प्राथमिक विद्यालय हैं।

तालिका–6.1

क्र0 स0	विकास क्षेत्र	कुल राजस्व ग्राम	राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत कुल बस्तियों की संख्या	उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय	मानकानुसार प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता
1.	जोशीमठ	85	125	106	10
2.	कर्णप्रयाग	176	242	149	12
3.	दशोली	120	202	107	10
4.	घाट	87	179	77	15
5.	नारायणबगड़	170	182	69	17
6.	गैरसैंण	215	250	119	17
7.	थराली	90	149	77	09
8.	देवाल	68	111	73	10
9.	पोखरी	133	183	96	08
	योग	1144	1623	873	108

फिलहाल वर्तमान में 108 प्राथमिक विद्यालयों की मानक के अनुसार जनपद में आवश्यकता है। वर्ष 1997–98 में इनमें से 57 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जा चुका है। अब इन विद्यालयों में पद सृजन की मांग कर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। शेष असेवित बस्तियों में शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

जनपद में वर्तमान में 169 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जबकि वर्तमानमानक 2:1 के आधार पर 267 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की और आवश्यकता है लेकिन मानक के अनुसार जनपद में कुल 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय ही खोले जा सकते हैं।

तालिका–6.2

क्र0सं0	विवरण	
	वर्तमान में जनपद में संचालित	
1.	कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–	873
2.	कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–	169
3.	2:1मानकानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों कीसंख्या–	436
4.	आवश्यक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या(436–169)–	267
5.	मानकानुसार प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–	76

वर्ष 1996–98 में दशम वित्त के तहत 07 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण हो चुका है । अब इन विद्यालयें में पद सृजन की मांग कर अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 17, वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 43 एवं वित्तीय वर्ष 2003–2004 में 16 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मांग प्रस्तावित की जाती है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में मानकानुसार अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

तालिका–6.3

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथ0 विद्यालय भवनों ,उनसे सम्बन्धित सुविधाओं एवं अध्यापकों की मांग

क्र0सं0	विवरण	वर्तमान स्थिति	कुल मांग	वित्तीय वर्ष 2001–02 हेतु मांग	वित्तीय वर्ष 2002–03 हेतु मांग	वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु मांग
1.	नवीन प्राथमिक विद्यालय–108					
	A.भवन	57 भवन पूर्व में निर्मित	51	–	39	12
	B.अध्यापक	–	108 प्र0अ 108 स0अ0	57 प्र0अ0 57 स0अ0	39 प्र0अ0 39 स0अ0	12 प्र0अ0 12 स0अ0
	C.शौचालय	–	108	30	39	12
	D.पेयजल	–	108	30	39	12
	E.चहारदीवारी	–	108	30	39	12
2..	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय–76	–	76	17	43	16
	A.भवन					
	B.अध्यापक	–	76 प्र0अ0 228 स0अ0	17 प्र0अ0 51 स0अ0	43प्र0अ0 129 स0अ0	16 प्र0अ0 48 स0अ0
3.	कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय–07					
	A.भवन	07 पूर्व में निर्मित	–	–	–	–
	B.अध्यापिकायें	–	07 प्र0अ0 21 स0अ0	07 प्र0अ0 21 स0अ0	–	–

शिक्षकों की व्यवस्था–

जनपद के विभिन्न 873 प्राथमिक विद्यालयों में 1665 अध्यापक कार्यरत हैं, विद्यालयों की संख्या एवं छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुये यह संख्या पर्याप्त नहीं है।

विद्यालयों की संख्या एवं छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की मांग निम्न प्रकार की जा सकती है–

क्र0स0	छात्र–छात्राओं की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	मानकानुसार अध्यापकों की संख्या
1.	50 से कम	283	283 X 2 = 566
2.	50 से 100	427	427 X 2 = 854
3.	100 से 150	135	135 X 3 = 405
4.	150 से 200	28	28 X 4 = 112
	योग	873	1937

स्त्रोत– कार्यालय, बे0शि0अ0 चमोली।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के विद्यालयों की वर्तमान संख्या एवं छात्र संख्या के आधार पर कुल 1937 अध्यापकों की आवश्यकता है ,जिनमें से 1665 अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं। अतः 272 अध्यापकों की जनपद को और आवश्यकता है।इसके अतिरिक्त जनपद में 09 ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा 02 नगर संसाधन केन्द्रों की स्थापना होनी है, प्रत्येक संसाधन केन्द्र पर 03 अध्यापकों की नियुक्ति समन्वयक के रूप में की जानी है। अतः 33 अध्यापक समन्वयक के रूप में विभिन्न बी0आर0सी0 एवं यू0आर0सी0 में समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।साथ ही 39 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों में भी 39 समन्वयकों की नियुक्ति भी अध्यापकों में से की जानी है।

जनपद की शिक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु जनपद के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था निम्नानुसार सुनिश्चित की जायेगी–

1. जनपद में 272 अध्यापकों की पूर्ति हेतु 272 पैरा–अध्यापकों की व्यवस्था निम्न प्रकार की जायेगी–
   - वित्तीय वर्ष 2002–03 में 72 पैरा अध्यापक
   - वित्तीय वर्ष 2003–04 में 100 पैरा अध्यापक
   - वित्तीय वर्ष 2004–05 में 100 पैरा अध्यापक
2. 1997–98 में निर्मित 57 प्राथमिक विद्यालयें तथा शेष 51 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में 108 प्रधानाध्यापक एवं 108 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।
3. वर्ष 1996–98 में दशम् वित्त के अन्तर्गत निर्मित 07 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 07 प्रधानाध्यापिकाओं एवं 21 सहायक अध्यापिकाओं की व्यवस्था की जायेगी।
4. मानकानुसार आवश्यक 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 76 प्रधानाध्यापकों एवं 228 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
5. जनपद में कुल स्वीकृत 510 प्रधानाध्यापक एवं 1566 सहायक अध्यापक, कुल 2076 पदों के विपरीत 469 प्रधानाध्यापक एवं 1206 सहायक अध्यापक, कुल 1665 अध्यापक कार्यरत हैं।जनपद

के कुल 873 विद्यालयों में से प्रधानाध्यापकों के केवल 510 पद ही स्वीकृत हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए शेष 363 प्रधानाध्यापकों की पूर्ति हेतु 363 सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति की जायेगी। अतः 363 प्रधानाध्यापकों के पद सृजन की स्वीकृति हेतु मांग प्रस्तावित है।

❖ शिक्षा गारण्टी तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना–

इस योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को पंजीकृत कराया जायेगा , जिनके घर की दूरी प्राथमिक विद्यालय से 1 किमी0 से अधिक है, लेकिन मानकानुसार उस बस्ती में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला जा सकता है। इन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा गारन्टी केन्द्रों की स्थापना कर उनकी कक्षा 1 एवं 2 की पढ़ाई सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक केन्द्र पर एक अनुदेशक की नियुक्ति की जायेगी जिसे 1000 रू0 प्रतिमाह मानेदय देय होगा।कुल 103 ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं जिनमें से वित्तीय वर्ष 2001–02 में 20 केन्द्र खोले जाने हैं।

6–11 वय वर्ग के वे बच्चे जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं , के लिए नावाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक केन्द्र पर एक अनुदेशक की व्यवस्था होगी। इन केन्द्रों को निम्न बस्तियों में प्राथमिकतानुसार खोला जायेगा–

1. ऐसी बस्तियां जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या अधिक हो।
2. जिन बस्तियों में बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत कम हो।
3. जिन क्षेत्रों में ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4. जिन क्षेत्रों में श्रमिक, घुमन्तू एवं विकलांग बच्चों की संख्या अधिक हो।

जनपद की असैवित बस्तियों एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा गारन्टी केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र निम्न सारणी के अनुसार खोले जाने का प्रस्ताव है।

तालिका–6.4

क्र0स0	विकास खण्ड	कुल राजस्व ग्राम	राजस्व ग्रमों के अन्तर्गत कुल बस्तियों की संख्या	उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय	ई0जी0एस0 केन्द्रों की आवश्यकता	वित्तीय वर्ष 2001–02 में प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्रों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2002–03में प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्रों की संख्या
1.	जोशीमठ	85	125	106	08	–	08
2.	कर्णप्रयाग	176	242	149	08	02	06
3.	दशोली	120	202	107	12	02	10
4.	घाट	87	179	77	23	06	17
5.	नारायणबगड़	170	182	69	07	–	07
6.	गैरसैंण	215	250	119	15	03	12
7.	थराली	90	149	77	09	–	09
8.	देवाल	68	111	73	20	06	14
9.	पोखरी	133	183	96	01	01	–
	योग	1144	1623	873	103	20	83

वर्तमान में जनपद में 103 ई0जी0एस0 केन्द्रों की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 20 एवं 2002–2003 में 83 ई0जी0एस0 केन्द्रों को खोले जाने का प्रस्ताव है।

❖ अनुदेशकों का चयन–

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशक उसी स्थान अथवा समुदाय का होगा जहाँ पर ई0जी0एस0 केन्द्र स्थापित होना है।अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी तथा वर्तमान उम्र 18 वर्ष अनिवार्य है। महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। चयन का आधार हाईस्कूल के प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा।आमन्त्रण पत्र ग्रम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा, अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने पर आमन्त्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके स्थान पर समिति दूसरे व्यक्ति को आमन्त्रण पत्र निर्गत करेगी।

ई0जी0एस0 केन्द्रों का संचालन प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक होगा। प्रत्येक अनुदेशक को प्रतिमाह 1000 रूपये मानदेय के रूप में दिये जायेंगे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष

अनुदेशक

2001–2002 में 20 ई0जी0 एस0 केन्द्रों के संचालन हेतु 20 एवं वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 83 केन्द्र एवं अनुदेशकों का चयन प्रस्तावित किया जाता है।

❖ ब्रिजकोर्स की व्यवस्था–

पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कतिपय गाँवों में कुछ परिवार अपनी आजीविका से जुड़े कई कारणों से अपने मूल गाँव/बस्ती को छोड़कर कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं।इन स्थानों पर इनका निवास काल 2 से 6 माह तक हो सकता है । ऐसे परिवारों से जुड़े बच्चों के लिए मूल गाँव के विद्यालय में पहुंचना काफी कठिन एवं कभी–कभी असम्भव भी हो जाता है।

औपचारिक विद्यालयी शिक्षा से वंचित ऐसे बच्चों की शिक्षा को जारी रखने एवं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोडे रखने हेतु ब्रिजकोर्स की व्यवस्था की जायेगी।सम्पूर्ण जनपद में ऐसे 20 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन 20 केन्द्रों को चलाने के लिए 20 अनुदेशकों की व्यवस्था की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में ही इन सभी 20 केन्द्रों पर ब्रिजकोर्स प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं इन्हें संचालित करने हेतु 20 अनुदेशकों का चयन भी प्रस्तावित किया जाता है।

❖ भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना –

जनपद के विद्यालयें में विभिन्न भौतिक सुविधाओं का नितान्त अभाव हैं। जनपद में आज तक कोई भी ऐसी योजना सम्पन्न नहीं हुई है, जिसके माध्यम से जनपद के विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। फिर विभिन्न दैवीय आपदाओं के कारण भी अधिकांश विद्यालयों को अपने भवन पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से खोने पड़े हैं। 28 मार्च सन् 1999 के विनाशकारी भूकंप का केन्द्र बिन्दु होने के कारण विद्यालयी भवनों का अत्यधिक नुकसान जनपद को उठाना पड़ा पड़ा है। कई विद्यालय भवन अधिवर्षता के कारण भी जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है (तालिका–2.5 एवं 2.6)।

जनपद के 873 विद्यालयें में से केवल 376 भवन ही तीन कक्षों वाले हैं जबकि 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 115 भवन ही चार कक्षीय हैं (तालिका 2.4)। अतः छात्र संख्यानुसार इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाना है।

जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयें में पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। सम्पूर्ण जनपद के केवल 173 प्राथमिक एवं 33 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 700 प्राथमिक एवं 136 उच्च प्राथमिक विद्यालयें में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जनपद के 129 प्राथमिक एवं 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयें में शौचालय की सुविधा है। अतः शेष 744 प्राथमिक एवं 139उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद के 70 प्राथमिक एवं 08 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही अब तक चहारदीवारी का निर्माण हुआ है। अतः

तालिका–6.5

विकास खण्डानुसार प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्र0सं0	विकास खण्ड	भवनहीन	पुनर्निर्माण	मरम्मत	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	पेयजल	शौचालय	चहारदीवारी
1	जोशीमठ	0	27	36	2	63	62	68
2	कर्णप्रयाग	1	20	87	2	89	105	116
3	दशोली	0	24	65	8	80	81	79
4	घाट	0	19	31	14	36	47	53
5	नारायणबगड़	1	5	31	2	45	55	60
6	गैरसैंण	15	8	39	17	64	59	91
7	थराली	1	9	11	10	58	59	58
8	देवाल	4	4	42	14	54	65	66
9	पोखरी	0	10	43	7	85	85	86
	योग	22	126	385	76	574	618	677

स्रोत–कार्यालय, बे0शि0अ0 चमोली। (9/2001 के अनुसार)

नोट–पुनर्निर्माण वाले सभी 126 भवन पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी आदि सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।

तालिका–6.6

विकासखण्डानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्र0सं0	विकास खण्ड	भवनहीन	पुनर्निर्माण	मरम्मत	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	पेयजल	शौचालय	चहारदीवारी
1	जोशीमठ	6	2	6	0	17	18	21
2	कर्णप्रयाग	4	1	13	0	12	15	18
3	दशोली	2	6	11	2	14	11	14
4	घाट	2	3	9	0	9	12	12
5	नारायणबगड़	6	0	5	2	11	11	14
6	गैरसैंण	0	0	12	7	20	14	21
7	थराली	5	3	0	1	11	10	11
8	देवाल	2	1	9	2	12	16	17
9	पोखरी	2	0	5	1	14	16	17
	योग	29	16	70	15	120	123	145

स्रोत–कार्यालय, बे0शि0अ0 चमोली। (9/2001 के अनुसार)

नोट–पुनर्निर्माण वाले सभी 16 भवन पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी आदि सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।

तालिका –6.7

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं वित्तीय वर्षानुसार मांग

क्र0 सं0	भौतिक सुविधायें	आवश्यकता		वित्तीय वर्षानुसार मांग											
		प्राथमिक	उ0प्राथमिक	2001–2002		2002–2003		2003–2004		2004–2005		2005–2006		2006–2007	
				प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	भवनहीन विद्यालय	22	29	–	–	6	15	16	14	0	0	0	0	0	0
2	पुनर्निर्माण योग्य विद्यालय	126	16	–	–	12	3	37	6	77	7	0	0	0	0
3	मरम्मत योग्य विद्यालय	385	71	–	–	76	24	150	15	159	32	0	0	0	0
4	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	76	15	10	8	12	2	17	5	37	0	0	0	0	0
5	पेयजल	574	120	30	10	81	38	161	24	128	24	174	24	0	0
6	शौचालय	618	123	30	10	91	45	159	26	118	20	220	22	0	0
7	चहारदीवारी	677	145	30	10	122	39	175	33	196	34	154	29	0	0
8	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	9		9		0		0		0		0		0	
9	नगर संसाधन केन्द्र	2		2		0		0		0		0		0	
10	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	39		39		0		0		0		0		0	

स्रोत– कार्यालय, बे0शि0अ0 चमोली।

नोट – वित्तीय वर्ष 2001–2002 में भवन निर्माण कार्य प्रस्तावित नही हैं।

केवल प्रा0वि0 हेतु 30 शौचालय, 30 पेयजल, 30 चहारदीवारी एवं उ0प्रा0वि0 के लिये 10 शशौचालय, 10 पेयजल तथा 10 चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

इस अभियान के अन्तर्गत शेष 803 प्राथमिक एवं 161 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा।

शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में 09 ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, 02 नगर संसाधन केन्द्रों एवं 39 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

❖ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण–

परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक तथा राजकीय इण्टर कॉलेजों में कक्षा 1से 8 तक नामांकित समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रत्येक बच्चे पर 150 रूपये की अधिकतम सीमा के अन्दर पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जायेंगी।

शिक्षा सत्र 2001–2002 की छात्र संख्या को आधार मानते हुए उपलब्ध छात्र संख्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शिक्षा सत्र 2002 से 2010 तक की छात्र संख्या सत्रवार प्रक्षेपित की गयी है। जिसके अनुसार सत्र 2002–03 में 48,115 , सत्र 2003–04 में 49,318 , सत्र 2004–05 में 50,550 , सत्र 2005–06 में 51,815 , सत्र 2006–07 में 53,111 , सत्र 2007–08 में 54,440 , सत्र 2008–09 में 55,801, सत्र 2009–10 में 57,195 एवं शिक्षा सत्र 2010–11 में 58,624 छात्र–छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी।

तालिका–6.8

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु कक्षावार छात्र संख्या
वर्ष 2001–2002

कक्षा	सामान्य जाति की बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के कुल छात्र–छात्राओं की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कुल छात्र–छात्राओं की संख्या	योग
1	4279	2866	180	7325
2	3649	2575	115	6339
3	3417	2287	135	5839
4	3430	2111	118	5659
5	3130	2294	146	5570
6	3280	1910	897	6087
7	2780	1734	637	5151
8	3103	1322	547	4972
योग	27068	17099	2775	46942

स्त्रोत–कार्यालय बे0शि0अ0, चमोली।

तालिका–6.9
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु वर्षवार छात्र संख्या

शिक्षा सत्र (वर्ष)	सामान्य जाति की बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के कुल छात्र–छात्राओं की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कुल छात्र–छात्राओं की संख्या	योग
2001–02	27068	17099	2775	46942
2002–03	27745	17526	2844	48115
2003–04	28439	17964	2915	49318
2004–05	29150	18413	2988	50550
2005–06	29879	18873	3063	51815
2006–07	30626	19345	3140	53111
2007–08	31392	19829	3219	54440
2008–09	32117	20325	3299	55801
2009–10	32981	20833	3381	57195
2010–11	33805	21353	3466	58624

❖ स्कूल भवनों का रखरखाव एवं मरम्मत–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष रू0 5000.00 दिये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में जनपद के 385 प्राथमिक एवं 70 उच्च प्राथमिक भवन मरम्मत योग्य है। इन सभी भवनों का मरम्मत कार्य तालिका 6.7 के अनुसार विभिन्न वित्तीय वर्षों में सम्पन्न किया जायेगा।

❖ शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को नियमित विद्यालय में स्तरोन्नत करना–

छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर शिक्षा गारन्टी केन्द्र का स्तरोन्नयन प्राथमिक विद्यालय के रूप में किया जायेगा। ऐसे स्तरोन्नत प्राथमिक विद्यालय को शिक्षण अधिगम उपस्कर (टी0एल0ई0) के क्रय हेतु 10,000.00 रूपये की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान समय में किसी भी शिक्षा गारन्टी केन्द्र को नियमित प्राथमिक विद्यालय के रुप में स्तरोन्नत करने हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।

❖ विद्यालय अनुदान–

प्रत्येक विद्यालय को आकर्षक एवं विकासोन्मुख संस्था के रुप में स्थापित करने एवं विद्यालय के पुराने स्कूल उपकरणों के पुनर्निर्माण अथवा उनके बदलाव हेतु प्रति विद्यालय 2000.00 रुपये प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था है। जनपद में वर्तमान में 873 प्राथमिक एवं 169 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। साथ ही जनपद के 36 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं 51 राजकीय इण्टर कॉलेजों को भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001–02 में सभी 1129 विद्यालयों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है।अन्य वर्षों में यह सुविधा विभिन्न विद्यालयों को निम्नवत् प्रदान की जायेगी–

वित्तीय वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
प्रा0विद्यालयों की संख्या	873	930	969	981	981	981	981	981	981
उच्च प्राथमिक, राजकीय हा0स्कूल एवं इण्टर कालेजों की संख्या	256	313	326	339	339	339	339	339	339
योग	1129	1243	1295	1320	1320	1320	1320	1320	1320

❖ शिक्षक अनुदान–

विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को सक्रिय एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक शिक्षक को 500 रु0 प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गयी है। जिससे कि अध्यापक छात्रों के सहयोग से सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण कर सकेंगे। वर्तमान में जनपद में संचालित विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है–

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक – 1665
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक– 729
राजकीय उच्चतर एवं राजकीय इण्टर कॉलेजों
में कक्षा 6, 7 एवं 8 को पढ़ाने वाले शिक्षक – 255
आदर्श विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक – 28
शिक्षा मित्र – 150
वित्तीय वर्ष 2001–02 में समन्वयकों के स्थान पर
मांगे गये शिक्षक – 26
योग – 2853
बी0आर0सी0, यू0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0
में समन्वयकों के पद पर चयनित किये जाने वाले शिक्षक– 72
वित्तीय वर्ष 2001–02 में कुल कार्यरत शिक्षक – 2781

विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर वर्षवार शिक्षकों की अनुमानित संख्या निम्नवत् होगी –

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
शिक्षकों की अनुमानित संख्या	2781	3241	3471	3647	3647	3647	3647	3647	3647

इस प्रकार शिक्षकों की वर्षवार उपरोक्त संख्या के आधार पर प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को प्रतिवर्ष रू0 500.00 अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

❖ विकलांग बच्चों की शिक्षा–

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जनपद के विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। प्रस्ताव विशेष के अनुसार अध्ययनरत विकलांग बच्चों के ठहराव में वृद्धि हेतु रु0 1200 की धनराशि आर्थिक सहयोग के रुप में प्रति बच्चे की दर से प्रदान की जायेगी।

सम्पूर्ण जनपद में विकलांग बच्चों की संख्या 583 है, जिनमें से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित 6–14 वय वर्ग के सभी 438 विकलांग छात्र–छात्राओं को प्रतिवर्ष यह राशि देने की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों के भी विशेष

प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। शेष विद्यालय न जाने वाले 145 विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता के प्रकार के आधार पर विशेष चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था राज्य स्तर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किया जाता है।

❖ शोध , मूल्यांकन , पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण–

विद्यालयों में क्रियात्मक शोध एवं सतत् मूल्यांकन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर विशेषज्ञों का पूल निर्मित किया जाएगा जो समय–समय पर विद्यालय के कार्यों एवं प्रगति का स्थलीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेगा। इस कार्य हेतु उन्हें यात्रा भत्ता एवं मानदेय प्रदान किया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में डायट के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग विशेष रूप से प्राप्त किया जायेगा।

प्रत्येक विद्यालय को भी उपरोक्त कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रतिवर्ष 1500 रूपये की धनराशि दी जायेगी।वित्तीय वर्ष 2001से 2010 तक समस्त 873 प्राथमिक 169 उच्च प्राथमिक, 36 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 51 राजकीय इण्टर कॉलेज सहित कुल 1129 विद्यालयों को यह धनराशि प्रदान की जायेगी।प्रति वर्ष स्वीकृत नवीन विद्यालयों को भी यह सुविधा देय होगी।

❖ बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम–

जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गाँवों में निवास करने वाले अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। परिवार के अधिकांश सदस्यों को रोजी–रोटी की व्यवस्था हेतु घर से बाहर विशेषकर जंगलों एवं खेतों में जाना पड़ता है। परिणामस्वरूप 6–14 वयवर्ग की बालिकाओं को छोटे–छोटे घरेलू कार्यों एवं छोटे भाई–बहिनों की देख–रेख की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। इन तमाम कारणों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव प्रभावित हो रहा है। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की

बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के शत् प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु विशेष नवाचार कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर किसी विशेषता के आधार पर एक मॉडल ग्राम का चुनाव किया जायेगा। यह गाँव विद्यालय अपहुंच वाला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाला हो सकता है। इस गाँव में बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन करवाकर उन्हें उनकी सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की उपयोगी शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् यहाँ के नामांकन प्रतिशत एवं उपलब्धियों को सम्पूर्ण न्याय पंचायत में प्रचारित करने हेतु उन्हीं बालिकाओं के माध्यम से गाँव–गाँव में गोष्ठी एवं नुक्कड़ सभाओं के आयोजन द्वारा जन अभियान चलाकर पूरी न्याय पंचायत में शत प्रतिशत बालिका नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जायेगा।ऐसी समस्त बालिकाओं को कक्षा 2 तक

की शिक्षा देने के उपरान्त उन्हें नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा।

जनपद के सुदूरवर्ती एवं अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मॉडल क्लस्टर ग्राम सभा विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच– न्याय पंचायत को मॉडल बनाकर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। क्लस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो तथा साथ ही समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व की भावना एवं स्वयं उनकी भागीदारी भी विकसित हो सके।

1.समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

2.महिला प्रेरक समूहों का गठन एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

3.न्याय पंचायत स्तर पर नामांकन अभियान चलाया जायेगा, इस हेतु स्थानीय समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जायेगा।

4.**माँ–बेटी मेला आयोजन**–ग्राम स्तर पर माँ–बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा। जिसके माध्यम से माताओं को अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेजने एवं कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

5.एम0टी0ए0 , पी0टी0ए0, वी0ई0सी0, महिला प्रेरक समूह, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। इन समूहों हेतु सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की जायेगी।

6.जनपद के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा।छात्राओं से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न सामग्रियों –खिलौने, टोकरियां, रस्सियां, कुशन, चॉक, मोमबत्ती आदि का निर्माण करवाया जायेगा।प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन कर उन्हें 2500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरीयता दी जायेगी।

❖ नवाचार शिक्षा–

(A)–बालिकाओं के लिए नवाचार शिक्षा कार्यक्रम –जीवन धारा योजना

जनपद चमोली का 98 प्रतिशत भूभाग ढालदार है। यहाँ पर खेती करके परिवार का पूर्ण भरण–पोषण करना सम्भव नहीं है। खेती पर जितना श्रम और धन व्यय होता है उसकी अपेक्षा उत्पादन बहुत कम होता है। यही कारण है कि यहाँ की अर्थ व्यवस्था काफी कमजोर है।पारिवारिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए यदि बालिकाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाय तो स्थिति में सुधार आ सकता है। बालिकाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा

अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं हेतु "जीवन धारा योजना" प्रस्तावित की जाती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम सम्पन्न किये जायेंगे–

1.बालिकाओं को सिलाई ,कढ़ाई ,बुनाई ,कालीन बनाने , दरी बनाने आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त चटाई तथा रेशों से निर्मित होने वाली वस्तुओं को बनाने का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। जनपद में संचालित गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से इन्हें स्थानीय पेडों– मालू, क्वीराल, बेडू आदि से प्राप्त चौड़ी एवं टिकाऊ पत्तियों से पत्तल , डोने आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। ब्लॉक संसाधन केन्द्रों एवं नगर पंचायत संसाधन केन्द्रों पर 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम 30 बालिकायें प्रतिभाग करेंगी। प्रतिवर्ष इस प्रकार के 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किये जायेंगे। कार्यक्रमों को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर प्रथम वर्ष में आवश्यक सामग्री (कच्चा माल) एवं उपकरण क्रय करने का प्राविधान किया जा रहा है। इस योजना हेतु प्रथम वर्ष (2001–2002) में 2.586 लाख रूपये व्यय का अनुमान है। शेष वर्षों में केवल प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों के मानदेय पर धनराशि व्यय की जायेगी।

2. जनपद के कुछ विकास क्षेत्रों में सेब ,खुमानी, पोलम, संतरा, नारंगी आदि फलों का प्रचूर मात्रा में उत्पादन होता है। उचित भण्डारण के अभाव में काश्तकार को इन नगदी फसलों का वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। अतः इन फलों को संरक्षित कर इनसे जैम, जैली, मुरब्बा, जूस, अचार आदि उपयोगी खाद्य सामग्री बनाने का प्रशिक्षण भी बालिकाओं को कुशल तकनीकी व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जायेगा। ब्लॉक स्तर पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक शिविर में 30 बालिकायें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। जिन्हें 50 रूपये प्रति दिन की दर से प्रशिक्षण भत्ता देय होगा। वर्ष 2001–2002 में 11 संसाधन केन्द्रों पर प्रशिक्षण का एक–एक फेरा आयोजित किया जायेगा। इन केन्द्रों पर प्रथम वर्ष (2001–2002) में प्रति केन्द्र 50,000.00 रूपये उपकरण आदि के क्रय हेतु तथा 2500.00 रूपये प्रति केन्द्र प्रशिक्षण मानदेय दिया जायेगा। शेष वर्षों में एक केन्द्र को 10,000.00 रूपये प्रति प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रति वर्ष 10 फेरों में 50–50 बालिकाओं का समूह भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सैंण , टिहरी गढ़वाल के भ्रमण हेतु भेजा जायेगा। प्रत्येक भ्रमण कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा तथा 1 फेरे के भ्रमण पर लगभग दो हजार रुपये व्यय का प्राविधान किया जाता है।

3. उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके लिए जनपद के 11 संसाधन केन्द्रों पर प्रथम वर्ष (2001–02) में कम्प्यूटर एवं अन्य सहायक उपकरणों के क्रय हेतु प्रति केन्द्र 1 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इन केन्द्रों पर प्रति वर्ष 11 फेरों में 20–20 बालिकायें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण अवधि 20 दिन होगी तथा इस अवधि में इन्हें प्रशिक्षण मानदेय भी दिया जायेगा।

4. बालिकाओं को हरबेरियम युक्त ग्रिटिंग कार्ड निर्माण का प्रशिक्षण , औषधीय पौधों की पौधशाला तैयार करने का प्रशिक्षण एवं मधुमक्खी पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

(B).बालकों के लिए नवाचार शिक्षा कार्यक्रम–

जनसंख्या वृद्धि एवं दैवीय आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष जंगलों का धीरे–धीरे विनाश हो रहा हैं। जिसके फलस्वरुप पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। किन्तु उचित देखरेख एवं तकनीकी जानकारी के अभाव में अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं। वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त संख्या में पौधे भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों में पर्यावरण की समझ को विकसित करने एवं उन्हें स्थानीय पर्यावरण की जानकारी एवं जागरुकता हेतु अवकाश के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 50–50 के समूहों में उत्तराखण्ड सेवा निधि ,अल्मोड़ा एवं उसके कार्यक्षेत्रों का भ्रमण कराया जायेगा। भ्रमण कार्यक्रम 2 दिवसीय होंगे तथा पूरे वर्ष इस प्रकार के 10 भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। बालकों को पौधशाला तैयार कराना, उसकी आर्थिक उपयोगिता से परिचित कराना, गाँव में पड़े बेकार कूड़े –कचरे से कम्पोस्ट खाद तैयार करना, गाँव में सामुहिक एवं व्यक्तिगत बाग तैयार करना एवं साग वाटिका तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

बाल वृक्ष मित्र योजना के अन्तर्गत कक्षा 7 एवं 8 के बच्चे अपने विद्यालय में एक–एक पौधा तैयार करेंगे, विद्यालय में उचित सुरक्षा की व्यवस्था न होने पर यह पौधा घर में भी तैयार किया जा सकता है।कक्षा 8 का प्रत्येक छात्र अपने द्वारा तैयार किये गये पौधे को नवप्रवेशी कक्षा 6 के छात्र को भेंट करेगा। कक्षा 6 का छात्र इस ऐवज में अपने वरिष्ठ साथी को 5 रूपये सौगात के रूप में देगा। इस धनराशि में से 2 रूपये पौध तैयार करने वाले छात्र के पास रहेंगे तथा शेष 3 रुपये विद्यालयी कोष में जमा हो जायेगा। इसी प्रकार कक्षा 7 के छात्र/छात्रायें अपने द्वारा तैयार पौधों को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले अपने वरिष्ठ साथियों को भेंट करेंगे। पौध प्राप्त करने वाला कक्षा 8 का प्रत्येक छात्र भी अपने कनिष्ठ साथी को 5 रूपये सौगात के रूप में देगा। इस धनराशि का भी पूर्व की भांति वितरण होगा।कक्षा 6 एवं कक्षा 8 का प्रत्येक छात्र पौध प्राप्त कर किसी उचित स्थान पर अपने मित्र की याद में इसका रोपण करेगा तथा इस पौधे के साथ उसके भावनात्मक सम्बन्ध जुड़े होने के कारण इसकी सुरक्षा भी स्वतः ही हो जायेगी। विद्यालय निधि में जमा धनराशि का सदुपयोग गरीब छात्रों को सहायता हेतु किया जायेगा।

अन्य नवाचार कार्यक्रम–

वर्ष 2002–03 से अग्रिम वर्षों के लिए उस वर्ष की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को देखते हुये अन्य नवाचार कार्यक्रम भी सम्पादित किये जायेंगे, जिनके लिए अलग से वित्त की मांग निम्नवत् की जा रही है–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	योग
धनराशि	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	80 लाख

❖ प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों को पहचान पत्र की व्यवस्था–

बच्चों में स्कूल के प्रति आकर्षण, अपनापन एवं आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने हेतु कक्षा 1 से 8 तक नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्रा का फोटो पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था की जायेगी। पहचान पत्र के माध्यम से बच्चे अपने सहपाठियों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा विद्यालय के प्रति उनकी संवेदनशीलता का विकास होगा। यह प्रक्रिया विद्यालय के नामांकन एवं धारण क्षमता की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगी।

बालगणना 2001–2002 के अनुसार वर्तमान शिक्षा सत्र में 45,940 बच्चे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, 11,955 बच्चे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 12,110 बच्चे राजकीय उच्चतर माध्यमिक एवं राजकीय इण्टर कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। इस प्रकार शिक्षा सत्र 2001–2002 में कुल 70,005 बच्चों के पहचान पत्र तैयार करने का प्राविधान किया जायेगा।क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उसके सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के अध्ययन काल में दो बार (कक्षा 1 एवं कक्षा 6) फोटो पहचान पत्र प्रदान किये जाने हैं। अतः शिक्षा सत्र 2002 से 2010 तक केवल कक्षा 1 एवं कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों को ही ये पहचान पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

❖ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था–

" स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है" की उक्ति को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य उच्चकोटि का हो, इस हेतु प्रत्येक विद्यालय से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी नियमों का कढ़ाई से पालन करताया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का एक दल गठित किया जायेगा जो प्रतिमाह प्रत्येक छात्र/छात्रा का स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। प्रत्येक संकुल केन्द्र स्तर पर महीने में एक बार इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति कार्ड तैयार किये जायेंगे। गंभीर रोग से पीड़ित बच्चों को कुछ आर्थिक मदद भी प्रदान की जायेगी। बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी सूचनाओं को उनके अभिभावकों तक पहुँचाने की व्यवस्था भी की जायेगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों को विद्यालय में आमन्त्रित कर बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी देने हेतु विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। उपरोक्त तमाम व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष 5000.00 रूपये देने का प्राविधान है किन्तु जनपद में छात्र संख्या के अनुसार इस राशि का आवंटन किया जाना व्यावहारिक होगा।

❖ विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था–

जनपद के प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार हेतु पुस्तकालय खोले जाने की योजना है जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को इन पुस्तकों का लाभ मिल सके। पुस्तकालय खोलने हेतु प्रत्येक विद्यालय को 5000.00 रूपये तक की पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। पुस्तकालय के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी उस विद्यालय के अध्यापकों की होगी।

❖ ग्राम शिक्षा समिति को पुरस्कार की व्यवस्था–

प्रारम्भिक शिक्षा के सुचारु रूप से संचालन एवं इसके समग्र विकास में समुदाय एवं ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुदाय एवं समिति के लोगों को विशेष रूप से प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रदान किया जायेगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम शिक्षा समिति को 25,000.00 रूपये एवं द्वितीय स्थान पर रहने वाली ग्राम शिक्षा समिति को 15,000.00 रूपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रस्ताव है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2001–2002 से ही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

❖ आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नये ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना–

जनपद की लगभग 90 फीसदी आबादी गाँवों में निवास करती है । संयुक्त परिवार की व्यवस्था अब समाप्ति की ओर हैं।गाँवों की आर्थिक स्थिति भी अत्यन्त कमजोर है। माता–पिता के घर से बाहर काम पर जाने के कारण कई बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल हेतु धर पर ही रहना पड़ता है। यह स्थिति विद्यालयों के नामांकन को काफी हद तक प्रभावित कर रही है। विशेषकर बालिका शिक्षा पर इसका अधिक कुप्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। जनपद में संचालित 178 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों के रूप में चलाया जायेगा। नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में 01 कक्ष उपलब्ध करवाकर इन्हें प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित किया जायेगा। 3–5 वय वर्ग के सभी बच्चों को इन केन्द्रों में लाकर इनकी देखभाल के साथ–साथ इन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए भी तैयार किया जायेगा। इससे इन बच्चों की घर में देखभाल करने वाले इनके भाई–बहनों को भी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

वर्तमान में संचालित इन सभी 178 आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्रियों को 250.00 रूपये एवं परिचारिका को 125.00 रूपये की दर से मानदेय इस योजना के तहत दिया जायेगा, साथ ही प्रत्येक केन्द्र को आकस्मिक व्यय हेतु 1500.00 रूपये प्रतिवर्ष एवं खिलौनों तथा अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री के क्रय हेतु 5000.00 रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे।

जनपद को आंगनवाड़ी केन्द्रों से सेवित करने हेतु 305 नये केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन नये केन्द्रों की कार्यकत्रियों को 1000.00 रूपये एवं परिचारिकाओं को 500.00 रूपये की दर मानदेय दिया जायेगा। साथ ही प्रत्येक केन्द्र को आकस्मिक व्यय के रूप में 1500.00 रूपये प्रतिवर्ष एवं खिलौनों तथा अन्य आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु 5000.00 रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा। इन समस्त नये केन्द्रों की वर्षवार स्थापना निम्न प्रकार की जायेगी–

वित्तीय वर्ष	पूर्व से संचालित 178 केन्द्रों के लिए कक्षा कक्ष की व्यवस्था	नये केन्द्रों की स्थापना	नये केन्द्रों के लिए कक्षा कक्ष की व्यवस्था
2001–02	50	–	–
2002–03	25	50	50
2003–04	25	100	100
2004–05	25	100	100
2005–06	53	55	55
योग	178	305	305

आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु सभी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केन्द्रों में सम्पन्न किये जायेंगे तथा इस हेतु उन्हें मानदेय भी प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार सम्पन्न किये जायेंगे–

आंगनवाडी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
मुख्य प्रशिक्षण अवधि–02 माह	–	228	100	100	55	–	–	–	–
पुनर्बोध प्रशिक्षण अवधि–05 दिन	150	178	228	328	428	483	483	483	483

❖ जनपद में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का सहयोग–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर जनपद में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े समस्त कर्मियों एवं अध्यापकों के क्षमता विकास में गैर सरकारी संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न कार्यानुभव से सम्बन्धित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे। जनपद में कई गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं। जिनमें से श्री नन्दादेवी महिला लोक कल्याण समिति गोपेश्वर, हिमाद, हिमालयन शैक्षिक ,वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (हेस्को) चमोली, उत्तरांचल युवा विकास परिषद् नारायणबगड़ प्रमुख रूप से महिला शिक्षा एवं उनके उत्थान तथा विकास पर सतत् रूप से कार्य कर रहे हैं। श्री नन्दादेवी महिला लोक विकास समिति गोपेश्वर, जनपद की महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन प्रशिक्षणों में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम

उत्पादन, फल संरक्षण, पाली हाउस, रेशेदार पेड़–पौधों से रस्सियां प्राप्त कर झोले, चटाई एवं दरियों का निर्माण, रिंगाल द्वारा टोकरी ,पिटारा (बक्सा), कण्डी, सूप, कोठार आदि का निर्माण , पेड़–पौधों से ग्रीटिंग कार्ड का निर्माण औषधीय पौधशाला का निर्माण आदि प्रमुख हैं। संस्था द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न जीवनोपयोगी प्रशिक्षणों का लाभ अध्ययनरत छात्र/छात्राओं , विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर की छात्राओं की दिलवाया जायेगा। इस हेतु विस्तृत कार्यक्रम बालिका शिक्षा के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में किये जाने वाले क्रियात्मक शोध एवं मूल्यांकन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने हेतु भी इन संगठनों का सहयोग लिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में इन संगठनों के महत्वपूर्ण सहयोग हेतु इन्हें प्रतिवर्ष 50,000.00 रूपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

❖ अध्यापकों का प्रशिक्षण–

शिक्षक को उसके व्यवसाय से सम्बन्धित बारीकियों से अवगत कराने एवं उसकी व्यावसायिक दक्षता में अभिवृद्धि हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्राविधान किया जायेगा। जिससे कि वह विद्यालय नियोजन , प्रबन्धन एवं शिक्षण की नवीन प्राविधियों से विज्ञ हो सके, स्वयं विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं विकास कर सके तथा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में सफल हो सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों के लिए निम्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे–

1–सभी शिक्षकों का 20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण।
2–अप्रशिक्षित शिक्षकों का 60 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।
3–नव भर्ती प्रशिक्षित शिक्षकों का 30 दिवसीय सेवागम–प्रबोधन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।
4–शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का 01 माह का प्रशिक्षण।
5–नये प्रधानाध्यापकों का स्कूल प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण।
6–उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
7–उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एस0ओ0पी0टी0 विज्ञान ,गणित अंग्रेजी एवं भाषा का प्रशिक्षण।
8–प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का गणित/विज्ञान विषयक प्रशिक्षण।

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को मानकानुसार यात्राभत्ता एवं मानदेय की व्यवस्थ की जायेगी। प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर प्रशिक्षणों का आयोजन ब्लॉक संसाधन केन्द्र, नग संसाधन केन्द्र एवं डायट स्तर पर किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के शिक्षकों पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

आने वाले वर्षों में कितने अध्यापकों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यक होगी , का एकदम सही–सही आकलन करना सरल नहीं है फिर भी अनुमानित संख्या के आधार

पर विभिन्न प्रकार के अध्यापकों को वर्ष वार दिये जाने वाले प्रशिक्षणों की रूपरेखा निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा रही है–

वर्ष ⟶	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–1(
प्रतिभागियों की संख्या ⟶									
प्रशिक्षण का विवरण									
1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण 20 दिवसीय, बी0आर0सी0 में।	2781	3242	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367
2. ई0जी0एस0 अनुदेशकों का प्रशिक्षण 30 दिवसीय, बी0आर0सी0 में।	50	53	–	–	–	–	–	–	–
3. ई0जी0एस0 अनुदेशकों का पुनर्बोध प्रशिक्षण 10 दिवसीय ,बी0आर0सी0 में।	–	50	103	103	103	103	103	103	103
4. उच्च प्राथमिक के 11 अध्यापकों एवं 02 डायट प्रवक्ताओं का कम्प्यूटर प्रशिक्षण 20 दिवसीय, डायट में।	13	–	–	–	–	–	–	–	–
5. पुनर्बोध कम्प्यूटर प्रशिक्षण 05 दिवसीय, डायट में।	–	13	13	13	13	13	13	13	13
6. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का विद्यालय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण 05 दिवसीय, बी0आर0सी0 में।	–	400	400	400	50	50	–	–	–
7. नवभर्ती प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रबोधन पाठ्यक्रम एवं सेवागम प्रशिक्षण 30 दिवसीय, डायट में।	–	47	49	85	250	50	50	50	50
8. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का	–	252	–	–	–	–	–	–	–

एस0ओ0पी0टी0 विज्ञान प्रशिक्षण 10 दिवसीय, डायट में।									
9. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का एस0ओ0पी0टी0, अंग्रेजी प्रशिक्षण 10 दिवसीय, डायट में।	–	–	252	–	–	–	–	–	–
10. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का एस0ओ0पी0टी0, गणित प्रशिक्षण 10 दिवसीय, डायट में।	–	–	–	252	–	–	–	–	–
11. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का एस0ओ0पी0टी0, भाषा प्रशिक्षण। 10 दिवसीय, डायट में।	–	–	–	–	252	–	–	–	–
12. प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का गणित/विज्ञान विषयक प्रशिक्षण 05 दिवसीय, बी0आर0सी0 में।	–	100	200	200	200	200	100	–	

❖ सामुदायिक व्यक्तियों का प्रशिक्षण–

गाँव के सम्मानित, शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए प्रे एवं गतिशील किया जायेगा कि वे, अपना विद्यालय की भावना से अभिभूत होकर विद्यालय का स पर्यवेक्षण करते रहें, साथ ही समय–समय पर अनुश्रवण भी करें तथा इस प्रकार विद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सम्बर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहायोग प्रदान करें।

समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों से जोडनें, जि कि वे विद्यालय को अपना समझकर उसकी प्रत्येक गतिविधि में भागेदारी कर सकें, के लिए प्रशि कार्यक्रम आयेाजित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों में महिलाओं एवं लक्ष्य समूह के व्यक्तियों प्राथमिकता दी जायेगी। 30 रूपये प्रतिदिन की दर से प्रतिवर्ष एक गाँव के 08 व्यक्तियों क दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रशिक्षित न्याय पंचायत समन्वयकों द्वारा पंचायत स्तर पर प्रदान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 493 ग्राम पंचायतों, 02 पंचायतों एवं 10 गैर सरकारी संगठनों के 4,930 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

डायट प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं समन्वयकों प्रशिक्षण–क्षमता विकास में अभिवृद्धि हेतु डायट के समस्त प्रवक्ताओं ,जिले के सहायक बे शिक्षा अधिकारियों तथा जिला ,ब्लॉक एवं न्याय पंचायत समन्वयकों के प्रशिक्षण की भीव्य

की जायेगी। राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले इन प्रशिक्षणों का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा।

ये प्रशिक्षण निम्न प्रकार सम्पन्न किये जायेंगे–

वर्ष ⟶	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
प्रतिभागियों की संख्या ⟶									
प्रशिक्षण का विवरण									
1. डायट प्रवक्ताओं का क्षमता विकास प्रशिक्षण 07 दिवसीय ,डायट में।	11	–	–	–	–	–	–	–	–
2. डायट प्रवक्ताओं का क्षमता विकास प्रशिक्षण– पुनर्बोध 03 दिवसीय ,डायट में।	–	11	11	11	11	11	11	11	11
3. प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं स0बे0शि0अ0 का प्रशासनिक एवं निरीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण 05 दिवसीय डायट में।	09	–	–	–	–	–	–	–	–
4. प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं स0बे0शि0अ0 का प्रशासनिक एवं निरीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण – पुनर्बोध 02 दिवसीय डायट में।	–	09	09	09	09	09	09	09	09
5. स0बे0शि0अ0,जिला, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत समन्वयकों का लिंगभेद दूर करने सम्बन्धी प्रशिक्षण 03 दिवसीय, डायट में।	81	85	85	–	–	–	–	–	–
6. न्याय पंचायत, ब्लॉक एवं नगर पंचायत समन्वयकों का प्रशिक्षण 10 दिवसीय, डायट में	72	–	–	–	–	–	–	–	–
7. समन्वयकों का पुनर्बोध प्रशिक्षण 05 दिवसीय, डायट में।	–	76	76	76	76	76	76	76	76
8. संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण 20 दिवसीय, डायट में।	14	30	–	–	–	–	–	–	–

9. संदर्भ व्यक्तियों का पुनर्बोध प्रशिक्षण 05 दिवसीय, डायट में।	—	14	44	44	44	44	44	44	44

इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की देखरेख एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार हेतु 09 अवर एवं 02 सहायक अभियन्ताओं के जिला स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

❖ मध्याह्न पोषाहार योजना–

वर्तमान में भारत सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र–छात्राओं को 3 किलो चावल देने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ताकि शेष छात्र/छात्रायें जिनकी उपस्थिति किन्हीं कारणों से 80 प्रतिशत से कम होती है वे भी नियमित रूप से विद्यालय में बने रहें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में ही 100 ग्रम चावल के समकक्ष मूल्य की कोई अन्य खाद्य सामग्री पकाकर अथवा बाजार से क्रय ककर छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन वितरित की जायेगी। इस प्रकार विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों को ही यह लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम हेतु खाद्य सामग्री तैयार करने वाले 01 व्यक्ति की व्यवस्था की जायेगी जिसे प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। साथ ही खाद्य सामग्री तैयार करने हेतु बर्तन ,ईंधन आदि की व्यवस्था भी की जायेगी। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रति छात्र 52 रूपये प्रतिमाह की दर से धनराशि की मांग प्रस्तावित की जाती है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाये जाने से विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

❖ ब्लॉक संसाधन एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण–

शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन एवं प्रशिक्षणों के प्रभावी तथा सुविधाजनक आयोजन हेतु जनपद में ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। जनपद में 09 विकास खण्ड, 06 नगर क्षेत्र एवं 39 न्याय पंचायतें हैं। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में सभी 09 ब्लॉक संसाधन केन्द्रों एवं 02 नगर संसाधन केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। समस्त 39 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2002–2003 में किया जाना है।

प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं नगर संसाधन केन्द्र को सुसज्जित करने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु 1,00000.00 रूपये एवं 12,500.00 रूपये प्रतिवर्ष आकस्मिक अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र को सुसज्जित करने हेतु 10,000.00 रूपये एवं 2500.00 रूपये प्रतिवर्ष आकस्मिक अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।

❖ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जिले की सर्वोच्च एवं सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था है। शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं सम्पूर्ण जनपद को

गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था सुलभ कराना इसका मुख्य उद्देश्य एवं कार्य है। जनपद की शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण भी अति आवश्यक है।

जनपद का संस्थान वर्तमान समय में बेहद विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने को मजबूर है। संस्थान का अपना मुख्य भवन ,छात्रावास एवं कम्प्यूटर कक्ष नहीं है। संस्थान में कुल स्वीकृत 48 पदों के विपरीत वर्तमान में 28 पदों पर ही अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। शेष 20 पद रिक्त चल रहे है। परिणामस्वरूप संस्थान में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही संस्थान को विभिन्न भौतिक सुविधाओं से भी सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

संस्थान में कार्यरत जनशक्ति का विवरण

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
1.	प्राचार्य	01	01	—
2.	उप–प्राचार्य	01	—	01
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
4.	प्रवक्ता	17	09	08
5.	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
6.	सांख्यिकीकार	01	01	—
7.	तकनीकी सहायक	01	01	—
8.	कार्यालय अधीक्षक	01	—	01
9.	लेखाकार	01	—	01
10.	आशुलिपिक	01	—	01
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01
12.	प्रयोगशाला सहायक	02	—	02
13.	कनिष्ठ लिपिक	09	09	—
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	05	—
	योग	48	28	20

सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थान को निम्न मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जिससे कि संस्थान के विभिन्न कार्यक्रम निर्वाध गति से सम्पन्न हो सकें–

1. कम्प्यूटर लैब– 01
2. कम्प्यूटर – 02
3. यू0पी0एस0– 02
4. लेजर प्रिन्टर – 02
5. साइक्लोस्टाइल मशीन– 01

6. फोटो कॉपियर– 01
6. फैक्स मशीन– 01
7. ओवर हेड प्रोजेक्टर– 02
8. स्लाइड प्रोजेक्टर– 01
9. इपिडायस्कोप– 01
10. टी0वी0 रंगीन– 01
11. वी0सी0आर0– 01

❖ जिला सर्व शिक्षा परियोजना कार्यालय (डी0पी0ओ0) का सुदृढ़ीकरण–

जिला परियोजना कार्यालय से ही सम्पूर्ण जनपद में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ,सह परियोजनाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग के लिए जिला परियोजना कार्यालय में स्टाफ के निम्न पद सृजित कर उनकी तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

1. जिला समन्वयक– 04
2. सलाहकार– 02 (रू0 10,000.00 नियत वेतन प्रति पद)
3. सहायक लेखाधिकारी– 01
4. लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर– 01
5. परिचारक 01

सर्व शिक्षा अभियान के संचालन ,देखरेख एवं सूचनाओं को एकत्र करने तथा उनके व्यवस्थित संकलन एवं आदान–प्रदान हेतु जिला सर्व शिक्षा परियोजना कार्यालय को विभिन्न भौतिक सुविधाओं द्वारा सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना कार्यालय को निम्न भौतिक सुविधायें प्रस्तावित की जाती हैं–

1. कम्प्यूटर कक्ष– 01
2. कम्प्यूटर– 02
3. यू0पी0एस0– 02
4. लेजर प्रिन्टर– 02
5. फोटो कॉपियर– 01
6. फैक्स मशीन– 01
7. टेलीफोन– 01
8. साइक्लोस्टाइल मशीन– 01
9. फर्नीचर
10. पी0ओ0एल0 हेतु धनराशि।

अध्याय –7
योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001–2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 वय वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चत कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों में परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा। इसमें सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

❖ प्रबन्ध तन्त्र–

प्रबन्ध तंन्त्र संवेदनशील एवं लचीली प्रणाली के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित किया जाना है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित की गयी है तथा वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचार परक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है। जो निम्नवत् है:–

निर्णयकर्ता	प्रबन्ध तन्त्र	अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी	राज्यपरियोजनाकार्यालय	एस.सी.ई.आर.टी.एवं सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक / अध्यापिका	बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी

❖ संगठनात्मक ढांचा– नीति निर्धारण

❖ ग्राम शिक्षा समिति:–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों के सम्पादन के लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है:–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान, अध्यक्ष होगा।

2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से जेष्ठतम सदस्य सचिव, ग्राम शिक्षा समिति होगा।
3. बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

❖ अधिकार एवं दायित्वः–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगीः–

1. पंचायत क्षेत्रों के स्कूलों का प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबन्धन करना।
2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रचार–प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।
3. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।
4. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें।
5. पंचायत की सीमाओं के अन्दर स्थित प्राथमिक विद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी को एक निश्चित नीति के तहत लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
6. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धी ऐसे अन्य कार्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाये।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए., महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जायेंगे। इन कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का कार्य एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टॉफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के प्रवेषण में किया गया है।

❖ क्षेत्र पंचायत समितिः–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत समिति के स्तर पर एक ब्लॉक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैंः–

1. ब्लॉक प्रमुख – अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव
3. विकास खण्ड का एक प्रधान – सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम अध्यापक– सदस्य

❖ अधिकार एवं दायित्व –

इस समिति का मुख्य कार्यक्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना है तथा यह ग्राम पंचायत समिति एवं जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी।

ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन किया गया है, इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1. खण्ड विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित प्रतिनिधि (01 वर्ष के लिए नामित) – सदस्य
3. क्षेत्र पंचायत समिति की महिला सदस्या(01 वर्ष के लिए नामित)– सदस्य
4. क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति, पिछड़े वर्ग का ग्राम प्रधान (01वर्ष के लिए नामित) –सदस्य
5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0(1) – सदस्य
6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0(1) – सदस्य
7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव

❖ अधिकार एवं दायित्व –

इस कोर टीम का प्रमुख कार्य क्षेत्र ,सम्बन्धित विकास खण्ड होगा। विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना, विद्यालयों, शिक्षकों, बच्चों एवं ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में सूचनाओं/आंकड़ों का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर संकुल समन्वयकों के साथ बैठक का आयोजन करना इस टीम के प्रमुख दायित्व के रूप में सन्दर्भित हैं।

❖ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन.पी.आर.सी.) :–

जनपद की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का चयन किया गया है। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में उस न्याय पंचायत के अन्तर्गत सभी विद्यालय सम्बद्ध होंगें, प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी तथा इसे सुसज्जित किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा न्याय पंचायत समन्वयक को प्रशिक्षित किया जायेगा।

❖ कार्य एवं दायित्व –

न्याय पंचायत केन्द्र से सम्बद्ध विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना, अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श करना , ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना, ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत केन्द्रों से सम्बद्ध विद्यालयों में गुणवता के सुधार,, परिवेश निर्माण आदि की योजना बनाना, संकुल स्तरीय सूचनाओं/आंकड़ों का संकलन करना।

❖ ब्लॉक संसाधन एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी. एवं यू.आर. सी.)–

इस जनपद में सभी विकास खण्डों में ब्लॉक संसाधन केन्द्रों एवं नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराया जायेगा तथा इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विद्युत, कम्प्यूटर एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर एक मुख्य समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी। विकास खण्डों एवं नगर क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवं कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुये समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड एवं नगर क्षेत्र में दो सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी। समन्वयकों एवं सह समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

❖ कार्य एवं दायित्व :–

1. अध्यापकों के लिए अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना ।
3. विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना, नवीन विधियों एवं सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना।
4. ब्लॉक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटरीकृत विवरण तैयार करना।
8. विद्यालय से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन, जांच एवं विश्लेषण करना।
9. प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
10. विकास खण्ड में संकुल एवं विद्यालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाइयों से तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवं डायट को अवगत कराना है।

❖ जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रणनीतियों के निर्धारण में जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत् है:–

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता डायट	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य

वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता(आर.ई.एस.)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता(पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य
(विश्व विद्यालय व महाविद्यालय से)	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्णमाला क्रम से)	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

❖ जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी। जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मान्य होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवता निर्माण सम्बन्धी तकनीकी के लिए सभी कार्य समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति सर्व शिक्षा अभियान की संरचना, संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

❖ जिला बेसिक शिक्षा समिति:–

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है, जिसका स्वरूप निम्नवत् है–

जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति जिला पंचायत के सदस्यों में से (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
उप विद्यालय निरीक्षक (पदेन) (जो समिति का सहायक सचिव होगा)	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद के अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासन करना।

2. नये प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित करना।

3. ऐसे प्राथमिक विद्यालयों के विकास, प्रचार–प्रसार एवं सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

❖ प्रशासनिक तंत्रः–

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें स्टाफ के पद सृजित कर तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	01
3. समन्वयक	04 (राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर)
4. सलाहकार	02 (रू 10,000 / –नियत वेतन प्रति पद)
5. सलाहकार	01 (रू 7000 / –नियत वेतन प्रति पद)
6. सहायक लेखाधिकारी	01
7. लिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
8. परिचारक	01

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद में कार्यरत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी होंगे।

❖ शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली (ई0एम0आई0एस0)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना कार्यक्रम में एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार, पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना , वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण ,आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। विद्यालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर , प्रधानाध्यापक , संकुल समन्वयक , बी. आर.सी. समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी।

❖ आँकडों का उपयोग :–

ई0ए.आई0एस0 आँकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचना जैसे जी0ई0आर0 ,ड्राप आउट दर , छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन सूचनाओं का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदानुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकडों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में शिक्षा गारंटी केन्द्र/नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान में, एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्हीकरण में , शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में , बालिकाओं के कम नामाकंन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में , पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में , शिक्षकों के वितरण में , विकलांग बच्चों के चिन्हीकरण तथा उन्हें उपलब्ध करायी गयी सुविधा के बारे में अत्यधिक प्रभावी होगी।

❖ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :–

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। वर्तमान मे इसका अपना कोई मुख्य भवन नहीं है। सम्प्रति यह संस्थान पूर्व दीक्षा विद्यालय के पूराने टिन शेड पर संचालित हो रहा है । सर्वशिक्षा अभियान की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुये इसको सुदृढ़ किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना ।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों के सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा में नवाचार अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों क्रियात्मक शोधों ,शोध–अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना ,ताकि जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके ।
3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक गतिविधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
4. जिला स्तर की शिक्षा समस्याओं के निदान एंव उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।
5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण एंव अनुश्रवण करना , उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापको को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एंव नियन्त्रण करना।
7. जिला स्तर पर अन्य विभागों एंव अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों का नियोजन करना।
8. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये वेस लाइन सर्वे कराना।
9. जिला स्तर पर अकादमिक संस्थान समूह का गठन करना।
10. शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
11. शिक्षकों ,समन्वयकों ,ई0जी0एस0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों , निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12. शैक्षिक आँकडों को ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित करना तथा विश्लेषण कराना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।
13. जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एंव सांख्यिकी का प्रकाशन ।

❖ परियोजना प्रबन्धन एवं योजना प्रणाली :–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

❖ निधि का प्रवाह –

जिले की वार्षिक योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रमों हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।

इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे– ग्राम शिक्षा समिति, स्वंय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रति माह उपलब्ध कराया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

1. ग्राम शिक्षा समिति
2. बी0आर0सी0 एवम् एन0पी0आर0सी0
3. अध्यापक
4. स्वंय सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान

बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

BUDGET FOR 2001-2002 (RUPEES IN LACS)

S.N.	HEAD/PROGRAMME	UNIT COST	PHYSICAL	FINANCIAL
	ACCESS			
A1	Salary for Teachers new primary schools. (Building construction has been done, Only teachers demanded)-			
	(a)-Assistant teacher one per school.	0.060	57	13.680
	(b)-Head teacher one per school.	0.075	57	17.100
A2	Salary for UPS teachers in place of 17 Model school teachers.			
	(a)-Assistant teacher 3 per school.	0.075	51	15.300
	(b)-Head teacher one per school.	0.085	17	5.780
A3	(a)-Furniture and Fixture for new primary schools.	0.150	57	8.550
	(b)-Furniture and Fixture for above 17 UPS. (TLE)	0.500	17	8.500
A4	Girls upper primary schools.(7 school buildings construction has been done and all facilities has been given, only teachers are demamnded)			
	(a)-Assistant teacher 3 per school.	0.075	21	6.300
	(b)-Head teacher one per school.	0.085	7	2.380
A5	Bal Mela	0.050	39	1.950
A6	Orientation for MTA/PTA			
	(390x8=3120 members).7 Rs. /member/day.	0.00007	3120	0.218
A7	Orientation for VEC			
	(873x8=6984 members) 7 Rs./member/day.	0.00007	6984	0.489
A8	Openning of EGS centres.			
	Salary for Anudeshek	0.0100	20	0.800
	TLM for EGS centres.	0.0500	20	1.000
	SUB TOTAL			**82.0474**
	RETENTION			
R1	Additional class rooms -			
	(a)-For primary schools.	0.700	10	7.000
	(b)-For upper primery schools.	0.700	8	5.600
R2	1-Facilities for existing primery schols-			
	(a)-Toilet	0.200	30	6.000
	(b)-Drinking water.	0.300	30	9.000
	©-Boundry wall.	0.400	30	12.000

	2-Facilities for existing upper primery schols-			
	(a)-Toilet	0.200	10	2.000
	(b)-Drinking water.	0.300	10	3.000
	©-Boundry wall.	0.500	10	5.000
R3	school improvement grant for primary, upper primary ,High school and Inter college.	0.020	1129	22.580
R4	Innovative programmes -			
	(a)-ECCE centres.			
	Additional honourarium for Karyakatri.	0.0025	178	1.780
	Additional honourarium for assistant Karyakatri.	0.00125	178	0.890
	TLM	0.050	178	8.900
	Contingency	0.105	178	2.670
	(b)-Vocational education for girls.			
	(I)- Trainning for fruit preservation.(Jam, jelly,juice and pickles). 10 schools per blok for 10 days trainning.	0.020	90	18.000
	(ii)-Honourarium for resource person. (9 RPx 10 daysx10 schoolsx 200 Rs).	200 per day.	9	1.800
	(iii)-Material and Equipments for trainning.	0.1per blok	9	0.900
	©-Environmental education for children of UPS, convergence with Uttranchal Seva Nidhi, Almora and Maiti Sanstha Chamoli. 10 schools each block-			
	(I)-Trainning for 5 days - (90 schoolsx5 daysx1000 Rs.)	0.01/day/school	90	4.500
	(ii)-Honourarium for resource person. (9 RPx 10 schoolsx5daysx 100 Rs).	.001/day/RP	9	0.450
	(iii)-Material for trainning.	.02/school	90	1.800
R5	Free text books for primary, UPS,High school and inter colleges students of class 1 to 8 distribution for next year.	.00150/std.	48115	72.1725
R6	Health checkup programme	.05/school	1129	56.450
R7	Trainning for VEC members for 3 days. (1000x3x0.0003).	0.0003/mem./day	1000	0.900
	SUB TOTAL			**243.393**

	QUALITY IMPROVEMENT			
Q1	Orientation of DIET lect.(17), ABSA (14), distt. Co-ordinators (4) at state level for 5 days.	.003/head/day	35	0.525
Q2	Orientation programme for MT, BRC and NPRC co-ordinators at DIET for 5 days.	.0007/can/day	72	0.252
Q3	Trainning for EGS Anudeshak for 20 days at DIET.	.0007/cn/day	20	0.280
Q4	Inservice trainning (TOT) 8 days at BRC	.0007/head/day	2781	15.5736
Q5	Trainning of JE/AE for 5 days at distt. Level.	.0007/head/day	11	0.039
Q6	Review trainning of AWPB	0.150	1	0.150
Q7	Remidial teaching for SC/ST students in 9 blocks. (25 students per block for 30 days).	0.0007/std/day	9	0.189
Q8	TLM grant for teachers	0.005	2781	13.905
Q9	**BRC/URC**			
	(I)-Building construction	6.000	11	66.000
	(ii)-Salary for co-ordinators	0.085	11	3.740
	(iii)-Salary for assistant co-ordinators	0.075	22	6.600
	(iv)-Peon	0.040	1	0.160
	(v)-Monthly review meetings	0.030	11	0.330
	(vi)-Contingency	0.050	11	0.550
	(vii)-Furniture	0.250	11	2.750
	(viii)-TA grant			0.220
Q10	**DIET-**			
	(I)-TA grant			0.100
	(ii)-POL			0.100
	(iii)-Hiring of vehicle.			0.150
Q11	**NPRC**			
	(I)-Building construction	2.00	39	78.000
	(ii)-Salary for co-ordinators	0.075	39	11.700
	(iii)-Furniture	0.100	39	3.900
	(iv)-Contingency	0.010	39	0.390
	(v)-TA grant	0.010	39	0.390
	(vi)-Monthly review meetings	0.030	39	1.170
Q12	**DPO**			
	(1)-Salary for distt. co-ordinators	0.110	4	1.760
	(2)-Salary of accountant.	0.065	1	0.260
	(3)-Salary for clerk	0.055	1	0.220

	(4)-Salary of Peon (1)and Chokidar (1)	0.040	2	0.320
	(5)-Fax machine	0.250	1	0.250
	(6)-Photo copier	0.850	1	0.850
	(7)-Telephone connection.	0.100	1	0.100
	(8)-Telephoe and fax charges.			0.050
	(9)-Furniture			1.000
	(10)-TA grant			0.200
	(11)-POL			0.200
	(12)-Contingency			0.200
	(13)-Hiring of vehicle.			0.200
	(14)-Honourarium for JE/AE	0.060	11	2.640
	(15)-Supervision and monitoring.	0.005	200	1.000
Q13	**MIS**			
	(I)-Construction of computer lab	1.000	1	1.000
	(ii)-Computer with UPS and laser printer	1.800	2	3.600
	(iii)-Honourarium of computer operator (fix)	0.070	1	0.280
	SUB TOTAL			**221.293**
	GRAND TOTAL			546.733

SUMMARY OF BUDGET(2001-2002)
DISTRICT- CHAMOLI

1	CIVIL WORK	193.6
2	MANAGEMENT	9.25
3	PROGRAMME	343.883
	TOTAL	546.733